

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

सुरेंद्र प्रसाद शर्मा एवं अन्य

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

2022 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.16140

[के साथ 2022 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.16145; 2022 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.16189; 2022 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.16192; 2022 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.16369; 2022 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.16500; 2022 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.16563; 2022 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.16640; 2022 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.16672; 2022 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.16677; 2022 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.16683; 2022 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.16684; 2022 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.16686; 2022 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.16687; 2022 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.16688; 2022 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.16713; 2022 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.16719; 2022 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.16720; 2022 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.16740; 2022 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.16995; 2022 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.17149; 2022 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.17210 एवं 2022 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.17289]

30 जनवरी 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री पूर्णन्दु सिंह)

विचार के लिए मुद्दा

- अपर मुख्य सचिव, निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना की अध्यक्षता में पारित दिनांक 21.10.2022 की बैठक के कार्यवृत्त का कंडिका 17 सही है या नहीं?
- क्या विलेख लेखकों पर लगाए गए प्रतिबंध उचित हैं?

हेडनोट्स

पंजीकरण अधिनियम, 1908-पंजीकरण (बिहार संशोधन) अधिनियम, 1991-धारा 68 ए, 68 बी, 69-बिहार डीड राइटर्स लाइसेंसिंग नियम, 1996-धारा 17-वैधता-याचिकाकर्ता नियम,

1996 के तहत लाइसेंस प्राप्त डीड राइटर हैं, उन्होंने प्राधिकरण द्वारा जारी बैठक के मिनट्स की धारा 17 को चुनौती दी है-धारा में डीड राइटर के माध्यम से पंजीकरण को प्रतिबंधित करने और मॉडल डीड-आधारित ऑनलाइन पंजीकरण को बढ़ावा देने की मांग की गई है, जो कथित रूप से वैधानिक प्रावधानों और पहले के उच्च न्यायालय के निर्णयों का उल्लंघन है।

निर्णय: कार्यकारी निर्देश अधिनियम, 1908 की धारा 68ए और 68बी के तहत प्रदत्त वैधानिक अधिकारों को रद्द नहीं कर सकते हैं - पंजीकरण महानिरीक्षक नियम बनाने के लिए धारा 69 के तहत सक्षम प्राधिकारी हैं - प्राधिकरण द्वारा मौखिक निर्देश या प्रशासनिक संकल्प अधिकार क्षेत्र के बिना और कानून के विपरीत हैं - विवादित खंड भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 14, 19(1)(जी) और 21 और पहले के बाध्यकारी निर्णयों का उल्लंघन करता है।

निर्णय: प्राधिकारी ने क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि की है, अपने अधीनस्थों को मौखिक रूप से निर्देश देकर मनमाने ढंग से, स्वेच्छाचारी ढंग से और विकृत तरीके से कार्य किया है, ताकि वे विलेख लेखकों द्वारा स्वयं लिखित रूप में प्रस्तुत किए गए विलेखों को स्वीकार करने से रोक सकें - बैठक के कार्यवृत्त का खंड 17 अधिकारहीन और अप्रवर्तनीय है - प्राधिकारियों को लाइसेंस प्राप्त विलेख लेखकों के वैधानिक अधिकारों का सम्मान करने और उन अधिकारों को कमजोर करने वाले किसी भी कोटा या स्लॉट प्रणाली को लागू करने से परहेज करने का निर्देश दिया गया था - लाइसेंस प्राप्त विलेख लेखकों के रूप में याचिकाकर्ताओं के अधिकार अधिनियम, 1908 और नियम, 1996 के तहत संरक्षित हैं - रिट याचिका को अनुमति दी गई। (कंडिका 2, 13 से 15, 46, 52 से 59)

न्याय दृष्टान्त

मनोहर लाल बनाम उग्रसेन एवं अन्य, (2010) 11 एससीसी 557; खोडे डिस्टिलरीज लिमिटेड एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य, (1995) 1 एससीसी 574; अक्षय एन. पटेल बनाम भारतीय रिजर्व बैंक, (2022) 3 एससीसी 694; उग्र शुगर वर्क्स लिमिटेड बनाम

दिल्ली प्रशासन एवं अन्य, (2001) 3 एससीसी 635; मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम नंदलाल जायसवाल एवं अन्य, (1986) 4 एससीसी 566; जनगणना आयुक्त एवं अन्य बनाम आर. कृष्णमूर्ति, (2015) 2 एससीसी 796; धीरेन्द्र कुमार राय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2010 एससीसी ऑनलाइन ऑल 1278: (2010) 5 ऑल एलजे (एनओसी 680) 158— पर भरोसा किया गया।

अधिनियमों की सूची

भारतीय संविधान, 1950; संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882; बंगाल काश्तकारी अधिनियम, 1885; भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899; पंजीकरण अधिनियम, 1908; पंजीकरण (बिहार संशोधन) अधिनियम, 1991।

मुख्य शब्दों की सूची

दस्तावेज लेखक; लाइसेंस प्राप्त विलेख लेखक; वैधानिक अधिकार; अल्ट्रा वायर्स।

प्रकरण से उत्पन्न

अपर मुख्य सचिव, निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना की अध्यक्षता में पारित दिनांक 21.10.2022 की बैठक के कार्यवृत्त के कंडिका 17 से ।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

(2022 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 16140 में)
याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री रंजीत कुमार
उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री पवन कुमार (ए.सी. टू ए.जी.)
(2022 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 16145 में)
याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री रंजीत कुमार
उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री पवन कुमार (ए.सी. टू ए.जी.)
(2022 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 16189 में)
याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री रंजीत कुमार
उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री विवेक प्रसाद (जीपी7)
(2022 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 16192 में)
याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री रंजीत कुमार
उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री विवेक प्रसाद (जीपी7)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री रंजीत कुमार
उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री विवेक प्रसाद (जीपी7)
(2022 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 16719 में)
याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री रंजीत कुमार
उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री विकास कुमार (एससी 11)
(2022 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 16720 में)
याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री रंजीत कुमार
उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री विकास कुमार (एससी 11)
(2022 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 16740 में)
याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री रंजीत कुमार
उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री विवेक प्रसाद (जीपी7)
(2022 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 16995 में)
याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री रंजीत कुमार
उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री विवेक प्रसाद (जीपी7)
(2022 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 17149 में)
याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री रंजीत कुमार
उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री विकास कुमार (एससी11)
(2022 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 17210 में)
याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री रंजीत कुमार
उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री विकास कुमार (एससी11)
(2022 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 17289 में)
याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री रंजीत कुमार
उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री विकास कुमार (एससी11)

रिपोर्टर जिनके द्वारा हेडनोट बनाया गया: आभाष चंद्र, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2022 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.16140

=====

1. सुरेंद्र प्रसाद शर्मा, पिता-श्री रामचरित्र सिंह, निवासी, गांव-हलसी लखीसराय, थाना और जिला-लखीसराय।
2. प्रमोद कुमार अंबाष्ठ, पिता-श्री अखिलेश्वर प्रसाद, निवासी, गांव-आर. लाल कॉलेज रोड, नया बाजार, लखीसराय, थाना और जिला-लखीसराय।

... .. याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. प्रधान सचिव, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. प्रधान सचिव, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. पंजीकरण के महानिरीक्षक, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. अतिरिक्त महानिरीक्षक पंजीकरण, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना।
5. सहायक महानिरीक्षक पंजीकरण, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर।
6. जिला दंडाधिकारी-सह-जिला पंजीयक, लखीसराय।
7. जिला उप पंजीयक, लखीसराय।
8. जिला उप-पंजीयक, हल्सी।

... .. उत्तरदाता/ओं

=====

के साथ

2022 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 16145

=====

चंदेश्वर प्रसाद चौधरी, पिता-राम नाथ चौधरी, निवासी और डाकघर-निर्मली, वार्ड सं.- 03, लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास, मुख्य सड़क, थाना-निर्मली, जिला-सुपौल, बिहार, पिन-847452।

... .. याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. प्रधान सचिव, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. प्रधान सचिव, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना।

3. पंजीकरण के महानिरीक्षक, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. अतिरिक्त महानिरीक्षक पंजीकरण, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना।
5. पंजीकरण के सहायक महानिरीक्षक, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, सुपौल।
6. जिला दंडाधिकारी-सह-जिला पंजीयक, सुपौल।
7. जिला उप-पंजीयक, सुपौल।
8. जिला उप-पंजीयक, सुपौल।

... .. उत्तरदाता/ओं

=====

के साथ

2022 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 16189

=====

राज किशोर भक्त,पिता- नाथुनी भक्त, निवासी-सलेमपुर, डाकघर-अघैला, थाना-दरौली,
जिला-सिवान।

... .. याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. प्रधान सचिव, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. प्रधान सचिव, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. पंजीकरण के महानिरीक्षक, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. पंजीकरण के अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना।
5. पंजीकरण के सहायक महानिरीक्षक, सारण प्रमंडल, सारण।
6. जिला दंडाधिकारी-सह-जिला पंजीयक, सिवान।
7. उप-पंजीयक, निबंधन कार्यालय, बधरिया, जिला-सिवान।
8. उप-पंजीयक, निबंधन कार्यालय, दरौली, जिला-सिवान।
9. उप-पंजीयक, निबंधन कार्यालय, रघुनाथपुर, जिला सिवान।
10. उप-पंजीयक, निबंधन कार्यालय भगवानपुर, जिला-सिवान।

... .. उत्तरदाता/ओं

=====

के साथ

2022 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 16192

जय राम पांडे, पिता-शिवलोक पांडे, निवासी-सावन बिग्राह, महाराजगंज, थाना-महाराजगंज, जिला-सिवान।

... .. याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. प्रधान सचिव, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. प्रधान सचिव, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. पंजीकरण के महानिरीक्षक, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. पंजीकरण के अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना।
5. पंजीकरण के सहायक महानिरीक्षक, सारण प्रमंडल, सारण।
6. जिला दंडाधिकारी-सह-जिला पंजीयक, सिवान।
7. उप-पंजीयक, निबंधन कार्यालय, बधरिया, जिला-सिवान।
8. उप-पंजीयक, निबंधन कार्यालय, दरौली, जिला-सिवान।
9. उप-पंजीयक, निबंधन कार्यालय, रघुनाथपुर, जिला-सिवान।
10. उप-पंजीयक, निबंधन कार्यालय भगवानपुर, जिला-सिवान।

... .. उत्तरदाता/ओं

के साथ

2022 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 16369

प्रकाश लाल श्रीवास्तव, पिता-स्वर्गीय राम बिलास प्रसाद वर्मा, निवासी, ग्राम-सरेया, वार्ड संख्या 1, शंभू पथ गोपालगंज, थाना-गोपालगंज, जिला-गोपालगंज ।

... .. याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. प्रधान सचिव, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. प्रधान सचिव, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. पंजीकरण के महानिरीक्षक, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. अतिरिक्त महानिरीक्षक पंजीकरण, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार

सरकार, पटना।

5. पंजीकरण के सहायक महानिरीक्षक, सारण प्रमंडल, सारण।
6. जिला दंडाधिकारी-सह-जिला पंजीयक, गोपालगंज सदर, गोपालगंज।
7. उप-पंजीयक, निबंधन कार्यालय मीरगंज, जिला फुलवारिया।
8. उप-पंजीयक, निबंधन कार्यालय सिधवालिया, जिला गोपालगंज।

... .. उत्तरदाता/ओं

=====

के साथ

2022 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 16500

=====

हरेराम पंडित, पिता-रंजीत पंडित , निवासी, गांव-साहुली, कुआं के पास, थाना-सिवान,
जिला-सिवान ।

... .. याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. प्रधान सचिव, पंजीकरण उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. प्रधान सचिव, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. पंजीकरण के महानिरीक्षक, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. अतिरिक्त महानिरीक्षक पंजीकरण, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना।
5. पंजीकरण के सहायक महानिरीक्षक, सारण प्रमंडल, सारण।
6. जिला दंडाधिकारी-सह-जिला पंजीयक, सिवान।
7. उप-पंजीयक, निबंधन कार्यालय, बधरिया, जिला सिवान।
8. उप-पंजीयक, निबंधन कार्यालय, दरौली, जिला सिवान।
9. उप-पंजीयक, निबंधन कार्यालय, रघुनाथपुर, जिला सिवान।
10. उप-पंजीयक, निबंधन कार्यालय, भगवानपुर, जिला सिवान।

... .. उत्तरदाता/ओं

=====

के साथ

2022 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 16563

=====

अरविंद कुमार, पिता-स्वर्गीय चित्रगुप्त लाल, निवासी, मोहल्ला-बागेश्वरी, थाना-दिल्ली
(कोतवाली), जिला-गया।

... .. याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. प्रधान सचिव, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. प्रधान सचिव, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. पंजीकरण के महानिरीक्षक, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध।
4. अतिरिक्त महानिरीक्षक पंजीकरण, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना।
5. पंजीकरण के सहायक महानिरीक्षक, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना।
6. जिला दंडाधिकारी-सह-जिला पंजीयक, गया।
7. जिला उप-पंजीयक, जिला उप-पंजी कार्यालय, गया।

... .. उत्तरदाता/ओं

=====

के साथ

2022 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 16640

=====

1. जनार्दन सिंह, पिता-स्वर्गीय शिव प्रताप सिंह, निवासी-अकदेरवा, थाना-गोपालगंज, जिला-गोपालगंज।
2. ओम प्रकाश श्रीवास्तव, पिता- स्वर्गीय यमुना प्रसाद, निवासी, गांव-सुपौल, थाना-सिधवालिया, जिला-गोपालगंज।

... .. याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. प्रधान सचिव, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. प्रधान सचिव, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. पंजीकरण के महानिरीक्षक, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध, बिहार सरकार, पटना।
4. अतिरिक्त महानिरीक्षक पंजीकरण, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना।
5. पंजीकरण के सहायक महानिरीक्षक, सारण प्रमंडल, सारण।
6. जिला दंडाधिकारी-सह-जिला पंजीयक, गोपालगंज सदर, गोपालगंज।
7. उप-पंजीयक, निबंधन कार्यालय, मीरगंज, जिला फुलवारिया।
8. उप-पंजीयक, निबंधन कार्यालय, सिधवालिया, जिला-गोपालगंज।

... .. उत्तरदाता/ओं

=====

के साथ

2022 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 16672

=====

मो. ओवैदुल्ला, पिता-अख्तर हुसैन, निवासी-फेनहारा, पूर्वी चंपारण, थाना-फेनहारा,
जिला-पूर्वी चंपारण।

... .. याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव पंजीकरण विभाग (पंजीकरण), बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. पंजीकरण के अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. संयुक्त सचिव, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना।
5. सहायक महानिरीक्षक, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर।
6. जिला दंडाधिकारी सह जिला पंजीयक, पूर्वी चंपारण।
7. जिला उप-पंजीयक, जिला उप-पंजी कार्यालय, मोतिहारी सदर, पूर्वी चंपारण।
8. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, केसरिया, पूर्वी चंपारण।
9. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, ढाका, पूर्वी चंपारण।
10. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, पक्रिदयाल, पूर्वी चंपारण।
11. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, छुराडानो, पूर्वी चंपारण।
12. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, चकिया, पूर्वी चंपारण।
13. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, अरेराज, पूर्वी चंपारण।
14. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, नक्साल, पूर्वी चंपारण।
15. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, केसरिया, पूर्वी चंपारण।

... .. उत्तरदाता/ओं

=====

के साथ

2022 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 16677

=====

राम अवधेश सिंह, पिता-कैलाश सिंह, निवासी-बखरी, बखरी बाजार, पूर्वी चंपारण,

थाना-पताही, जिला-पूर्वी चंपारण।

... .. याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव पंजीकरण विभाग (पंजीकरण), बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. पंजीकरण के अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. संयुक्त सचिव, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना।
5. सहायक महानिरीक्षक, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर।
6. जिला दंडाधिकारी सह जिला पंजीयक, पूर्वी चंपारण।
7. जिला उप-पंजीयक, जिला उप-पंजी कार्यालय, मोतिहारी सदर, पूर्वी चंपारण।
8. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, केसरिया, पूर्वी चंपारण।
9. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, ढाका, पूर्वी चंपारण।
10. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, पक्रिदयाल, पूर्वी चंपारण।
11. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, छुराडानो, पूर्वी चंपारण।
12. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, चकिया, पूर्वी चंपारण।
13. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, अरेराज, पूर्वी चंपारण।
14. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, रक्सौल, पूर्वी चंपारण।
15. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, केसरिया, पूर्वी चंपारण।

... .. उत्तरदाता/ओं

=====

के साथ

2022 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 16683

=====

मो. मोजाहिद हुसैन, पिता-मो. मोजाम्मिल हुसैन, निवासी-फेनहारा, थाना-पक्रिदयाल, जिला-पूर्वी चंपारण, मोतिहारी।

... .. याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव पंजीकरण विभाग (पंजीकरण), बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार,

पटना।

3. पंजीकरण के अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. संयुक्त सचिव, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना।
5. सहायक महानिरीक्षक, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर।
6. जिला दंडाधिकारी सह जिला पंजीयक, पूर्वी चंपारण।
7. जिला उप पंजीयक, जिला उप-निबंधन कार्यालय, मोतिहारी सदर, पूर्वी चंपारण।
8. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, केसरिया, पूर्वी चंपारण।
9. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, ढाका, पूर्वी चंपारण।
10. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, पक्रिदयाल, पूर्वी चंपारण।
11. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, छुराडानो, पूर्वी चंपारण।
12. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, चकिया, पूर्वी चंपारण।
13. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, अरेराज, पूर्वी चंपारण।
14. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, रक्सौल, पूर्वी चंपारण।
15. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, केसरिया, पूर्वी चंपारण।

... .. उत्तरदाता/ओं

=====

के साथ

2022 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 16684

=====

राम सागर सिंह, पिता- स्वर्गीय राम बलम सिंह, निवासी-वार्ड संख्या 6, गोनाही, थाना-पक्रिदयाल, जिला-पूर्वी चंपारण, मोतिहारी।

... .. याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव पंजीकरण विभाग (पंजीकरण), बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. पंजीकरण के अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. संयुक्त पंजीयक, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना।
5. सहायक महानिरीक्षक, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर।

6. जिला दंडाधिकारी सह जिला पंजीयक, पूर्वी चंपारण।
7. जिला उप पंजीयक, जिला उप-निबंधन कार्यालय, मोतिहारी सदर, पूर्वी चंपारण।
8. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, केसरिया, पूर्वी चंपारण।
9. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, ढाका, पूर्वी चंपारण।
10. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, पक्रिदयाल, पूर्वी चंपारण।
11. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, छुराडानो, पूर्वी चंपारण।
12. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, चकिया, पूर्वी चंपारण।
13. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, अरेराज, पूर्वी चंपारण।
14. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, रक्सौल, पूर्वी चंपारण।
15. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, केसरिया, पूर्वी चंपारण।

... .. उत्तरदाता/ओं

=====

के साथ

2022 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 16686

=====

संजय कुमार सिंह, पिता-रघुनाथ सिंह, वार्ड सं. 4, कालुपाकर, थाना-पक्रिदयाल,
जिला-पूर्वी चंपारण।

... .. याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव पंजीकरण विभाग (पंजीकरण), बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. पंजीकरण के अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. संयुक्त सचिव, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना।
5. सहायक महानिरीक्षक, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर।
6. जिला दंडाधिकारी सह जिला पंजीयक, पूर्वी चंपारण।
7. जिला उप पंजीयक, जिला उप-निबंधन कार्यालय, मोतिहारी सदर, पूर्वी चंपारण।
8. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, केसरिया, पूर्वी चंपारण।
9. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, ढाका, पूर्वी चंपारण।
10. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, पक्रिदयाल, पूर्वी चंपारण।
11. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, छुराडानो, पूर्वी चंपारण।

12. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, चकिया, पूर्वी चंपारण।
13. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, अरेराज, पूर्वी चंपारण।
14. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, रक्सौल, पूर्वी चंपारण।
15. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, केसरिया, पूर्वी चंपारण।

... .. उत्तरदाता/ओं

=====

के साथ

2022 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 16687

=====

मुकेश कुमार, पिता-शिवसागर प्रसाद, निवासी-वार्ड 13, देवपुर, पूर्वी चंपारण, थाना-पताही, जिला-पूर्वी चंपारण।

... .. याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य अतिरिक्त मुख्य सचिव, पंजीकरण विभाग (पंजीकरण), बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. पंजीकरण के अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. संयुक्त सचिव, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना।
5. सहायक महानिरीक्षक, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर।
6. जिला दंडाधिकारी सह जिला पंजीयक, पूर्वी चंपारण।
7. जिला उप पंजीयक, जिला उप-निबंधन कार्यालय, मोतिहारी सदर, पूर्वी चंपारण।
8. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, केसरिया, पूर्वी चंपारण।
9. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, ढाका, पूर्वी चंपारण।
10. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, पक्रिदयाल, पूर्वी चंपारण।
11. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, छुराडानो, पूर्वी चंपारण।
12. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, चकिया, पूर्वी चंपारण।
13. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, अरेराज, पूर्वी चंपारण।
14. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, रक्सौल, पूर्वी चंपारण।
15. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, केसरिया, पूर्वी चंपारण।

... .. उत्तरदाता/ओं

=====

के साथ

2022 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 16688

=====

1. सुभाष दुबे, पिता-पूजन दुबे, निवासी-बड़ा बड़ेया, बरौली, थाना-बरौली, जिला-गोपालगंज।
2. मुकेश कुमार, पिता-स्वर्गीय मतुक देव प्रसाद , निवासी गांव-कैथवालिया, थाना-कुचायकोट, जिला-गोपालगंज।

... .. याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. प्रधान सचिव, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. प्रधान सचिव, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. पंजीकरण के महानिरीक्षक, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. पंजीकरण के अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना।
5. पंजीकरण के सहायक महानिरीक्षक, सारण प्रमंडल, सारण।
6. जिला दंडाधिकारी-सह-जिला पंजीयक, गोपालगंज सदर, गोपालगंज।
7. उप-पंजीयक, निबंधन कार्यालय, मीरगंज, जिला गोपालगंज।
8. उप-पंजीयक, निबंधन कार्यालय, सिधवालिया, जिला गोपालगंज।

... .. उत्तरदाता/ओं

=====

के साथ

2022 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 16713

=====

लालबाबू साह, पिता-दुखन साह, निवासी-इब्राहिमपुर परसौनी, पूर्वी चंपारण, थाना-तेनहारा, जिला-पूर्वी चंपारण ।

... .. याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव पंजीकरण विभाग (पंजीकरण), बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. पंजीकरण के अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग,

बिहार सरकार, पटना।

4. संयुक्त सचिव, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना।
5. सहायक महानिरीक्षक, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर।
6. जिला दंडाधिकारी सह जिला पंजीयक, पूर्वी चंपारण।
7. जिला उप-पंजीयक, जिला उप-निबंधन कार्यालय, मोतिहारी सदर, पूर्वी चंपारण।
8. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, केसरिया, पूर्वी चंपारण।
9. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, ढाका, पूर्वी चंपारण।
10. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, पक्रिदयाल, पूर्वी चंपारण।
11. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, छुराडानो, पूर्वी चंपारण।
12. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, चकिया, पूर्वी चंपारण।
13. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, अरेराज, पूर्वी चंपारण।
14. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, रक्सौल, पूर्वी चंपारण।
15. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, केसरिया, पूर्वी चंपारण।

... .. उत्तरदाता/ओं

=====

के साथ

2022 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 16719

=====

अशोक कुमार वर्मा, पिता- ग्राम-केदार प्रसाद, निवासी-वार्ड सं.1, राजेपुर, ढाका, पूर्वी चंपारण, थाना-ढाका, जिला-पूर्वी चंपारण।

... .. याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव पंजीकरण विभाग (पंजीकरण), बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, पंजीकरण उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. पंजीकरण के अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. संयुक्त सचिव, पंजीकरण उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना।
5. सहायक महानिरीक्षक, पंजीकरण उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग बिहार सरकार, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर।
6. जिला दंडाधिकारी सह जिला पंजीयक, पूर्वी चंपारण।
7. जिला उप-पंजीयक, जिला उप-निबंधन कार्यालय, मोतिहारी सदर, पूर्वी चंपारण।

8. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, केसरिया पूर्वी चंपारण।
9. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, ढाका, पूर्वी चंपारण।
10. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, पक्रिदयाल, पूर्वी चंपारण।
11. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, छुराडानो, पूर्वी चंपारण।
12. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, चकिया, पूर्वी चंपारण।
13. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, अरेराज, पूर्वी चंपारण।
14. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, रक्सौल, पूर्वी चंपारण।
15. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, केसरिया, पूर्वी चंपारण।

... .. उत्तरदाता/ओं

=====

के साथ

2022 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 16720

=====

मुश्ताक अहमद, पिता- मो. शफीक, निवासी-सिकंदरपुर टोला, देवकुलिया, पूर्वी चंपारण, थाना-देवकुलिया, जिला-पूर्वी चंपारण।

... .. याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव पंजीकरण विभाग (पंजीकरण), बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. पंजीकरण के अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. संयुक्त सचिव, पंजीकरण उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना।
5. सहायक महानिरीक्षक, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर।
6. जिला दंडाधिकारी सह जिला पंजीयक, पूर्वी चंपारण।
7. जिला उप-पंजीयक, जिला उप-निबंधन कार्यालय, मोतिहारी सदर, पूर्वी चंपारण।
8. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, केसरिया, पूर्वी चंपारण।
9. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, ढाका, पूर्वी चंपारण।
10. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, पक्रिदयाल, पूर्वी चंपारण।
11. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, छुराडानो, पूर्वी चंपारण।
12. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, चकिया, पूर्वी चंपारण।
13. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, अरेराज, पूर्वी चंपारण।

14. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, रक्सौल, पूर्वी चंपारण।
15. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, केसरिया, पूर्वी चंपारण।

... .. उत्तरदाता/ओं

=====

के साथ

2022 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 16740

=====

देवी लाल साह, पिता-लक्ष्मण साह, निवासी-मिर्जापुर, थाना-पक्रिदयाल, जिला-पूर्वी चंपारण, मोतिहारी।

... .. याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, पंजीकरण विभाग (पंजीकरण), बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. पंजीकरण के अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. संयुक्त सचिव, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना।
5. सहायक महानिरीक्षक, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर।
6. जिला दंडाधिकारी सह जिला पंजीयक, पूर्वी चंपारण।
7. जिला उप-पंजीयक, जिला उप-पंजी कार्यालय, मोतिहारी सदर, पूर्वी चंपारण।
8. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, केसरिया, पूर्वी चंपारण।
9. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, ढाका, पूर्वी चंपारण।
10. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, पक्रिदयाल, पूर्वी चंपारण।
11. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, छुराडानो, पूर्वी चंपारण।
12. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, चकिया, पूर्वी चंपारण।
13. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, अरेराज, पूर्वी चंपारण।
14. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, रक्सौल, पूर्वी चंपारण।
15. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, केसरिया, पूर्वी चंपारण।

... .. उत्तरदाता/ओं

=====

के साथ

2022 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 16995

=====

मोजाम्मिल हुसैन, पिता-मो.अख्तर हिसैन, निवासी-फेनहारा, थाना-पकरिदताल, जिला
पूर्वी चंपारण, मोतिहारी।

... .. याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव पंजीकरण विभाग (पंजीकरण), बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. पंजीकरण के अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. संयुक्त सचिव, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना।
5. सहायक महानिरीक्षक, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर।
6. जिला दंडाधिकारी सह जिला पंजीयक, पूर्वी चंपारण।
7. जिला उप-पंजीयक, जिला उप-निबंधन अधिकारी, मोतिहारी सदर, पूर्वी चंपारण।
8. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, केसरिया, पूर्वी चंपारण।
9. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, ढाका, पूर्वी चंपारण।
10. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय पक्रिदयाल, पूर्वी चंपारण।
11. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय छुराडानो, पूर्वी चंपारण।
12. उप-पंजीयक, उप-पंजी कार्यालय चकिया, पूर्वी चंपारण।
13. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, अरेराज, पूर्वी चंपारण।
14. उप-पंजीयक, उप-पंजी कार्यालय रक्सौल, पूर्वी चंपारण।
15. उप-पंजीयक, उप-पंजी कार्यालय केसरिया, पूर्वी चंपारण।

... .. उत्तरदाता/ओं

=====

के साथ

2022 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 17149

- =====
1. ब्रह्म देव प्रसाद कुशवाहा उर्फ ब्रह्म देव प्रसाद, पिता-स्वर्गीय अंगनु महतो, निवासी, मोहल्ला-जमालपुर, थाना-शेखपुरा, जिला-शेखपुरा।
 2. सज्जन सिंह, पिता-स्वर्गीय गिरिजा सिंह, निवासी गांव-कामता, थाना-शेखपुरा, जिला-शेखपुरा।

... .. याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. प्रधान सचिव, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. प्रधान सचिव, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. पंजीकरण के महानिरीक्षक, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. अतिरिक्त महानिरीक्षक पंजीकरण, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना।
5. पंजीकरण के सहायक महानिरीक्षक, सारण प्रमंडल, मुंगेर।
6. जिला दंडाधिकारी-सह-जिला पंजीयक, शेखपुरा।
7. जिला उप पंजीयक, निबंधन कार्यालय, शेखपुरा।

... .. उत्तरदाता/ओं

=====

के साथ

2022 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 17210

=====

अनिल कुमार उर्फ अनिल प्रसाद, पिता-गुजेश्वर प्रसाद, निवासी, गांव-सरारी टोला जलपुरावा, जलपुरावा, रोड के पास, डाकघर-मुस्तफाबाद, पिपरा, मुस्तफाबाद, सिवान, थाना-सिवान, जिला-सिवान।

... .. याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. प्रधान सचिव, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. प्रधान सचिव, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. पंजीकरण के महानिरीक्षक, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. अतिरिक्त महानिरीक्षक पंजीकरण, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना।
5. पंजीकरण के सहायक महानिरीक्षक, सारण प्रमंडल, सारण।
6. जिला दंडाधिकारी-सह-जिला पंजीयक, सिवान।
7. उप-पंजीयक, निबंधन कार्यालय, बधरिया, जिला-सिवान।
8. उप-पंजीयक, विनियमन कार्यालय, दरौली, जिला-सिवान।
9. उप-पंजीयक, निबंधन कार्यालय रघुनाथपुर, जिला-सिवान।
10. उप-पंजीयक, निबंधन कार्यालय भगवानपुर, जिला-सिवान।

... .. उत्तरदाता/ओं

=====

के साथ

2022 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 17289

=====

दिनकर प्रसाद, पिता-अभिनंदन प्रसाद, निवासी-वार्ड संख्या 13, देवपुर पताही, खोरी
पाकर, पूर्वी चंपारण, थाना-पताही, जिला-पूर्वी चंपारण ।

... .. याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, पंजीकरण विभाग (पंजीकरण), बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. पंजीकरण के अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. संयुक्त सचिव, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना।
5. सहायक महानिरीक्षक पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर।
6. जिला दंडाधिकारी सह जिला पंजीयक, पूर्वी चंपारण।
7. जिला उप-पंजीयक, जिला उप-पंजी कार्यालय, मोतिहारी सदर, पूर्वी चंपारण।
8. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, केसरिया, पूर्वी चंपारण।
9. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, ढाका, पूर्वी चंपारण।
10. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, पक्रिदयाल, पूर्वी चंपारण।
11. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, छुराडानो, पूर्वी चंपारण।
12. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, चकिया, पूर्वी चंपारण।
13. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, अरेराज, पूर्वी चंपारण।
14. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, रक्सौल, पूर्वी चंपारण।
15. उप-पंजीयक, उप-निबंधन कार्यालय, केसरिया, पूर्वी चंपारण।

... .. उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति:

(2022 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 16140 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री रंजीत कुमार

उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री पवन कुमार (ए.सी. टू ए.जी.)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री रंजीत कुमार
उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री पवन कुमार (ए.सी. टू ए.जी.)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री रंजीत कुमार
उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री विवेक प्रसाद (जीपी7)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री रंजीत कुमार
उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री विवेक प्रसाद (जीपी7)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री रंजीत कुमार
उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री विवेक प्रसाद (जीपी7)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री रंजीत कुमार
उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री विकास कुमार (एससी 11)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री रंजीत कुमार
उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री विकास कुमार (एससी 11)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री रंजीत कुमार
उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री विकास कुमार (एससी 11)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री रंजीत कुमार
उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री विवेक प्रसाद (जीपी7)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री रंजीत कुमार
उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री विवेक प्रसाद (जीपी7)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री रंजीत कुमार
उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री विकास कुमार (एससी 11)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री रंजीत कुमार
उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री विवेक प्रसाद (जीपी7)

(2022 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 16686 में)

[illegible]

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री पूर्णन्दु सिंह

मौखिक निर्णय

तारीख: 30-01-2023

याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत कुमार और राज्य की ओर से श्री विकास कुमार, विद्वान एससी-11 को सुना गया।

2. याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित राहतों के लिए वर्तमान रिट याचिका दायर की है:

“i. अपर मुख्य सचिव, निबंधन, उत्पाद एवं मय निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 21.10.2022 को पारित बैठक के कार्यवृत्त की धारा 17 को दरकिनार करने के लिए, जिसके तहत बिहार विलेख लेखक अनुज्ञप्ति नियम, 1996 के साथ पठित पंजीकरण अधिनियम की धारा 68 ए और 68 बी के विपरीत विलेख लेखकों के माध्यम से पंजीकरण का सामान्य स्लॉट बंद कर दिया गया है, साथ ही माननीय न्यायालय द्वारा सीडब्ल्यूजेसी संख्या 10973/2016, सीडब्ल्यूजेसी संख्या 11384/2016 और समरूप मामलों में पारित दिनांक 17.09.2016 के निर्णय का घोर उल्लंघन और अवहेलना की गई है, जिसके तहत माननीय न्यायालय ने कहा था कि जब तक विलेख लेखकों अनुज्ञप्ति नियम 1996 लागू है, वैध अनुज्ञप्ति वाले विलेख लेखकों को पंजीकरण के लिए दस्तावेज लिखने से नहीं रोका जा सकता है। (बैठक के उक्त कार्यवृत्त के आलोक में कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं किया गया है, लेकिन इसे पूरे बिहार में पहले ही लागू कर दिया गया है)।

ii.) इसके लिए उत्तरदाता प्राधिकारियों को कोविड-19 महामारी के दौरान बनाई गई स्लॉट प्रणाली (प्रत्येक स्लॉट के लिए 25 विलेख) को बंद करने का निर्देश दिया जाए, क्योंकि गृह विभाग, बिहार सरकार, पटना द्वारा जारी सभी विलेख वापस ले लिए गए हैं, लेकिन पंजीकरण उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना के प्राधिकारी सीडब्ल्यूजेसी संख्या 10973/2016, सीडब्ल्यूजेसी संख्या 11384/2016 और समरूप मामलों में पारित दिनांक 17.09.2016 के निर्णय के विपरीत, अनुज्ञप्तिधारी (विलेख लेखकों) के हितों को कुंठित करने के उद्देश्य से मनमाने ढंग से

स्लॉट प्रणाली का पालन कर रहे हैं।

iii.) इसके लिए याचिकाकर्ताएं आगे प्रार्थना करते हैं कि विलेख लेखकों के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण और पंजीकरण के लिए कोटा प्रणाली को वापस लिया जाए, क्योंकि इसका उपयोग विलेख लेखकों के रूप में काम करने के उनके अधिकार को समाप्त करने के लिए किया जा रहा है, जो हैं; सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 10973/2016, सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 11384/2016 और समरूप मामलों में पारित दिनांक 17.09.2016 के निर्णय के विपरीत, यदि प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से, तथा इसके अतिरिक्त, ऑनलाइन पंजीकरण और विलेख लेखकों के माध्यम से पंजीकरण के लिए कोटा प्रणाली पंजीकरण अधिनियम, 1908 और उसमें बनाए गए नियमों के लिए अज्ञात है।

iv.) निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना के अधिकारियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए, जिन्होंने सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 10973/2016, सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 11384/2016 और समरूप मामलों में दिनांक 17.09.2016 को पारित निर्णय के परिणाम को विफल करने का प्रयास किया और यहां तक कि एम.जे.सी. संख्या 1355/2022 में इस माननीय न्यायालय के साथ धोखाधड़ी की और उसे धोखा दिया।

v.) उत्तरदाता प्राधिकारियों को निर्देश जारी करने के लिए कि याचिकाकर्ता को विलेख लेखक के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जाए और उनके हस्तलिखित दस्तावेजों के साथ-साथ उनके हस्ताक्षरित प्रारूपित और कम्प्यूटरीकृत दस्तावेजों को सीडब्ल्यूजेसी संख्या 10973/2016, सीडब्ल्यूजेसी संख्या 11384/2016 और समरूप मामलों में पारित 17.09.2016 के निर्णय के आलोक में पंजीकरण के लिए स्वीकार किया जाए।

vi.) किसी भी अन्य राहत/राहत के लिए जिसके लिए याचिकाकर्ताएं हकदार माने जा सकते हैं।”

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि पंजीकरण अधिनियम, 1908 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जाएगा) में पंजीकरण (बिहार संशोधन) अधिनियम, 1991 (अधिनियम

6, 1991) के तहत संशोधन किया गया था। धारा 68 के बाद निम्नलिखित धाराएँ जोड़ी गई:-

"68-क बिना अनुज्ञप्ति वाले व्यक्ति का निषेध-

(1) कोई भी व्यक्ति, जिसके पास धारा 68-बी के तहत अनुज्ञप्ति नहीं है, दस्तावेज लेखक का व्यवसाय नहीं करेगा और ऐसे व्यक्ति द्वारा तैयार और हस्ताक्षरित दस्तावेज, जिसके पास अनुज्ञप्ति नहीं है, पंजीयन अधिकारियों द्वारा पंजीकरण के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा;

बशर्ते कि किसी भी अधिवक्ता, प्लीडर या मुख्तार को धारा 68-बी के तहत अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं होगी।

(2) इस धारा की कोई बात दस्तावेज के निष्पादक को पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज को तैयार करने या अपने लिए कोई अन्य कार्य करने से नहीं रोकेगी जिसके लिए एक अनुज्ञप्ति प्राप्त दस्तावेज लेखक को अन्यथा नियुक्त किया जा सकता था।

(3) इस धारा की कोई बात भारत से बाहर या बिहार राज्य से बाहर निष्पादित दस्तावेज पर या एक उप-जिले या एक जिले के लिए अनुज्ञप्ति रखने वाले दस्तावेज लेखक द्वारा लिखित वसीयत या दस्तावेज पर लागू नहीं होगी और किसी अन्य उप-जिले या किसी अन्य जिले में पंजीकरण के लिए प्रस्तुत की जाएगी, या सरकार या स्थानीय प्राधिकरणों या अन्य निगमित निकायों द्वारा या उनकी ओर से निष्पादित दस्तावेज पर लागू नहीं होगी।

68 ख. दस्तावेज लेखकों को अनुज्ञप्ति प्रदान करना -

(1) जिला पंजीयक या इस संबंध में उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, इस संबंध में किए गए आवेदन पर, एक उप-जिला या एक जिले में निर्धारित प्रपत्र में दस्तावेज लेखक या दस्तावेज लेखक के प्रशिक्षु को लिखित परीक्षा आयोजित करने के पश्चात, इस

संबंध में महानिरीक्षक पंजीकरण द्वारा निर्धारित शर्तों और नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकता है।

(2) किसी भी व्यक्ति को अनुज्ञप्ति दिया जा सकता है जो पंजीकरण (बिहार संशोधन) अध्यादेश, 1991 की तारीख से कम से कम दस साल पहले दस्तावेज़ लेखक के पेशे में रहा है, उसे उप-धारा (i) में निर्दिष्ट लिखित परीक्षा में उपस्थित होने की आवश्यकता के बिना, यदि किसी जिले के पंजीयक या उसके द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी अन्य अधिकारी का समाधान हो जाता है कि वह अन्यथा दस्तावेज़ लेखक का पेशा लेने के लिए योग्य है।

(3) उप-धारा 1 और 2 के तहत दिया गया अनुज्ञप्ति उस वर्ष के 31 दिसंबर तक वैध रहेगा, जिसमें उसे जारी किया गया था और ऐसे नियमों और शर्तों पर इसकी वैधता की अवधि समाप्त होने से पहले नवीनीकरण के अधीन होगा जो निर्धारित किए जाएंगे।

(4) (क) धारा 1 और 2 के तहत दिए गए अनुज्ञप्ति को किसी भी समय निर्धारित शर्तों के उल्लंघन पर या ऐसे अन्य कारणों से निलंबित या रद्द किया जा सकता है जिन्हें जिला पंजीयक या उसे अधिकृत करने वाले अधिकारी द्वारा लिखित रूप में दर्ज किया जाना है, जब दस्तावेज़ लेखक को प्रस्तावित निलंबन या अनुज्ञप्ति के रद्द होने के खिलाफ कारण दिखाने का पर्याप्त अवसर दिया गया है और उसके बाद विधिवत विचार किया गया है।

(ख) इस धारा के तहत पारित किसी भी आदेश के खिलाफ पंजीकरण महानिरीक्षक के समक्ष अपील की जाएगी।”

4. धारा 68-ए में प्रावधान है कि एक व्यक्ति जो धारा 68-बी के संदर्भ में अनुज्ञप्ति धारक नहीं है, वह खुद को दस्तावेज़ लेखक के रूप में संलग्न नहीं करेगा। जिस व्यक्ति के पास अनुज्ञप्ति नहीं है, उसके द्वारा तैयार और हस्ताक्षरित दस्तावेज़ को पंजीकरण अधिकारियों द्वारा पंजीकरण के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहां तक कि एक अधिवक्ता, अधिवक्ता या मुख्तार के पास भी 68-बी के तहत अनुज्ञप्ति होना आवश्यक है। धारा 68-बी के

सावधानीपूर्वक अवलोकन से यह पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 68-ए के संदर्भ में एक अधिवक्ता, प्लीडर या मुख्तार या अनुज्ञप्ति प्राप्त व्यक्ति द्वारा तैयार किए जाने वाले हस्तलिखित दस्तावेज को तैयार करने के लिए निर्धारित करता है। धारा 68-बी के स्पष्टीकरण में "दस्तावेज लेखक" शब्द को परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है और इसमें वह व्यक्ति शामिल है जो दस्तावेज तैयार करने के पेशे में लगा हुआ है, अर्थात्, संपत्ति हस्तांतरण का काम करना, जिसमें स्वत्व की जांच, मसौदा विलेख तैयार करना और अधिनियम के तहत पंजीकरण या तलाशी और निरीक्षण के लिए, यदि कोई हो, तो प्रतियों सहित विलेख को संलग्न करना और प्रतिलिपि बनाना शामिल है।

5. अधिनियम की धारा 69 पंजीकरण महानिरीक्षक को निबंधन कार्यालय का अधीक्षण करने और नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है। यह धारा रिट याचिका में उठाए गए मुद्दे के निर्धारण के लिए प्रासंगिक है। धारा-69 को नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:-

"69. महानिरीक्षक की अधीक्षण पंजीकरण कार्यालयों की शक्ति और नियम बनाना।-

(1) महानिरीक्षक [राज्य सरकार] के अधीन क्षेत्रों में सभी पंजीकरण कार्यालयों पर सामान्य अधीक्षण का प्रयोग करेंगे, और समय-समय पर इस अधिनियम के अनुरूप नियम बनाने की शक्ति रखेंगे-

(क) पुस्तकों, कागजातों और दस्तावेजों की सुरक्षित अभिरक्षा प्रदान करना;

[(कक) धारा 16 ए की उपधारा (1) के अंतर्गत पुस्तकों को कंप्यूटर फ्लॉपी या डिस्कट या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने का तरीका और सुरक्षा उपाय प्रदान करना;]

(ख) यह घोषणा करना कि प्रत्येक जिले में किस भाषा का उपयोग किया जाता है;

(ग) यह घोषणा करते हुए कि धारा 21 के तहत किन क्षेत्रीय प्रमंडलों को मान्यता दी जाएगी;

(घ) क्रमशः धारा 25 और 34 के तहत लगाए गए जुर्माने की राशि को विनियमित करना;

(ङ) धारा 63 द्वारा पंजीकरण अधिकारी में दिए गए विवेकाधिकार के प्रयोग को विनियमित करना;

(च) उस प्रपत्र को विनियमित करना जिसमें पंजीकरण अधिकारियों को दस्तावेजों के ज्ञापन बनाने हैं;

(छ) धारा 51 के तहत अपने-अपने कार्यालयों में रखी गई पुस्तकों के पंजीयकों और उप-पंजीयकों द्वारा प्रमाणीकरण को विनियमित करना;

(छछ) उस तरीके को विनियमित करना जिसमें धारा 88 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट उपकरणों को पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है;] (जोर दिया गया)

(ज) अनुक्रमणिका संख्या I, II, III और IV में शामिल किए जाने वाले विवरणों की घोषणा करना;

(झ) पंजीकरण कार्यालयों में मनाए जाने वाले अवकाशों की घोषणा करना; और

(ञ) आम तौर पर, पंजीयक और उप-पंजीयक की कार्यवाहियों को विनियमित करना।

(2) इस प्रकार बनाए गए नियमों को अनुमोदन के लिए 1 [राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा, और उन्हें अनुमोदित करने के बाद, उन्हें 5 [आधिकारिक राजपत्र] में प्रकाशित किया जाएगा, और प्रकाशन पर प्रभावी होगा जैसे कि इस अधिनियम में अधिनियमित किया गया हो।

6. पंजीकरण महानिरीक्षक ने पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 69 की उप-धारा 1 के उप-खंड (छछ) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए "बिहार विलेख लेखक अनुज्ञप्ति नियम, 1996" बनाए।

7. याचिकाकर्ताएं बिहार विलेख लेखक अनुज्ञप्ति नियम, 1996 के प्रावधानों के तहत अनुज्ञप्तिधारी हैं। उन्हें लाइसेंसिंग प्राधिकारी, अर्थात् जिला दंडाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति जारी किया गया है। नियम 4 के अंतर्गत प्रपत्र-ख के अवलोकन से, प्रपत्र-ख के खंड 6 में यह निर्धारित किया गया है कि दस्तावेजों का प्रतिलेखन विलेख लेखक द्वारा किया जाएगा। प्रपत्र-ग, विलेख लेखक अनुज्ञप्ति का प्रारूप है और प्रपत्र का खंड-ड, पंजीकरण अधिकारी को दिए गए विवेकाधिकार के प्रयोग को विनियमित करने का प्रावधान करता है। खंड-छ, पंजीयक और उप-पंजीयक को प्रमाणीकरण को विनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है।

8. ज्ञापन संख्या 2867 दिनांक 13.06.2016 में निहित एक पत्र प्रधान सचिव, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार, पटना के हस्ताक्षर से जारी किया गया था, जिसमें निर्देश दिया गया था कि निबंधन के लिए कोई हस्तलिखित दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा और केवल मुद्रित/टंकन किए गए दस्तावेज ही निबंधन के लिए स्वीकार किए जाएंगे। उक्त निर्देश से व्यथित होकर, याचिकाकर्ताओं ने अन्य विलेख लेखकों के साथ सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 10973/2016, सी. डब्ल्यू. जे. सी. सं.11384 2016 और समान मामलों में उपरोक्त आदेश को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी, जिनकी एक साथ सुनवाई की गई और दिनांक 17.09.2016 के निर्णय और आदेश के माध्यम से निपटाया गया। इस न्यायालय ने बिहार विलेख लेखक अनुज्ञप्ति नियम, 1996, पंजीकरण अधिनियम, 1908, बिहार संशोधन अधिनियम, 2008 पर विचार करने के बाद और विभाग द्वारा जारी निर्देश पर विचार करने के बाद ज्ञापन संख्या 2867 दिनांक 13.06.2020 में निहित आदेश को रद्द कर दिया और कहा कि मामले के याचिकाकर्ताएं यानी विलेख लेखकें अपनी लिखावट/स्याही में पंजीकरण के लिए एक दस्तावेज तैयार करने के पात्र हैं (अनुलग्नक-1)। इसके बाद उत्तरदाता प्राधिकारी ने सहायक महापंजीयन, निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना द्वारा जारी एक अन्य पत्र संख्या 5697 दिनांक 09.11.2016 के माध्यम से उपर्युक्त ज्ञापन संख्या 2867 दिनांक 13.06.2016 को वापस ले लिया। राज्य उत्तरदाता ने इस न्यायालय द्वारा सीडब्ल्यूजेसी संख्या 10973/2016 और अन्य समरूप मामलों में पारित दिनांक 17.09.2016 के उपर्युक्त निर्णय के विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं की।

9. उपर्युक्त निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इस न्यायालय ने विधिवत रूप से यह टिप्पणी की है कि जब तक नियम अर्थात् बिहार विलेख लेखक अनुज्ञप्ति नियम, 1996 विद्यमान है, तब तक विलेख लेखकों का अपने हस्तलेख, विशेषकर स्याही से, में दस्तावेज तैयार करने का अधिकार कार्यकारी निर्देश जारी करके नहीं छीना जा सकता। इस न्यायालय ने आगे कहा कि पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 63 के अनुसार

उपयुक्त प्राधिकरण पंजीकरण महानिरीक्षक है न कि विभाग का प्रधान सचिव, इस तथ्य के बावजूद कि वह पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और मद्य निषेध विभाग के सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं, कानून के इस सुस्थापित प्रस्ताव के मद्देनजर कि यदि कानून शक्ति के प्रयोग का एक विशेष तरीका प्रदान करता है, तो उस शक्ति का प्रयोग केवल एक विशेष तरीके से ही किया जाना चाहिए, अन्यथा नहीं। दूसरे, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर भी कि यदि किसी वैधानिक प्राधिकरण को अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया है, तो उसे अपने विवेक के अनुसार इसका प्रयोग करना होगा। यदि विवेक का प्रयोग निर्देश के तहत या किसी उच्च प्राधिकारी के निर्देश के अनुपालन में किया जाता है, तो यह पूरी तरह से विवेक का प्रयोग करने में विफलता का मामला होगा। दूसरे शब्दों में, कनिष्ठ प्राधिकारी द्वारा वरिष्ठ प्राधिकारी के पक्ष में सत्ता का त्याग नहीं किया जा सकता है। इस न्यायालय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा *(2010) 11 एससीसी 557 मनोहर लाल बनाम उग्रसेन एवं अन्य*, कंडिका 12 से 23 में दिए गए निर्णय का संदर्भ लिया।

10. इस न्यायालय ने कहा कि कानून के अनुसार उपयुक्त प्राधिकरण पंजीकरण महानिरीक्षक है जो शक्ति का प्रयोग कर सकता है और प्रधान सचिव किसी भी मामले में पंजीकरण महानिरीक्षक के अधिकार क्षेत्र को हड़प नहीं सकता है।

11. इस बीच, दुनिया ने विनाशकारी कोविड-19 महामारी देखी और इसके परिणामस्वरूप बिहार राज्य सहित पूरे भारत में लॉकडाउन लागू किया गया और सामाजिक दूरी बनाए रखने आदि के लिए सरकारी कार्यालयों के कामकाज के लिए कई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गईं। निबंधन उत्पाद निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना ने मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) पर विचार करते हुए 4-5 स्लॉट की प्रणाली बनाई; प्रत्येक स्लॉट में केवल 25 विलेखों का कोटा था। पंजीकरण विभाग ने एक अन्य आदेश जारी किया कि ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी और उनका पंजीकरण उसी दिन किया जाएगा और विलेख लेखकों के माध्यम से प्रस्तुत किए गए लोगों

का पंजीकरण अगले दिन किया जाएगा। पंजीकरण विभाग ने कोटा तय किया कि 75 प्रतिशत पंजीकरण प्राथमिकता पंजीकरण के साथ ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा और शेष 25 प्रतिशत पंजीकरण अगले दिन विलेख लेखकों के माध्यम से किया जाएगा। इसके बाद, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार, पटना ने विलेख लेखकों को प्रतिबंधित करने वाला एक नया आदेश पारित किया। इसके अलावा, इसे सुलझा लिया गया और 14.07.2022 को आयोजित एक बैठक में यह निर्णय लिया गया कि केवल मॉडल विलेख पर ही पंजीकरण की अनुमति दी जाए, अर्थात् 100%, विशेष रूप से जिला पंजीकरण कार्यालय पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, दरभंगा और दानापुर और फुलवारीशरीफ के उप-पंजीयन कार्यालय में और शेष जिलों में 75% दस्तावेजों को ऑनलाइन और केवल 25% हस्तलिखित या कम्प्यूटरीकृत और किसी अन्य रूप में पंजीकरण की अनुमति दी गई। 14.07.2022 की बैठक के उपर्युक्त कार्यवृत्त के आधार पर, सहायक महानिरीक्षक पंजीकरण, बिहार, पटना के हस्ताक्षर से पत्र संख्या 5381 दिनांक 19.07.2022 के माध्यम से एक परिणामी पत्र जारी किया गया कि 01.09.2022 से प्रभावी, जिसके तहत उपरोक्त दस्तावेजों में केवल मॉडल विलेख पर 100% पंजीकरण किया जाएगा।

12. परिस्थितियों के कारण एम.जे.सी. संख्या 1355/2022 के तहत अवमानना आवेदन दायर किया गया और अवमानना कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, राज्य (विपक्षी) ने महानिरीक्षक निबंधन, बिहार, पटना के हस्ताक्षर से जारी पत्र संख्या 4479 दिनांक 30.08.2022 में निहित आदेश के तहत पत्र संख्या 5381 दिनांक 19.07.2022 को वापस ले लिया। राज्य (विपक्षी) ने कारण बताओ आवेदन दायर किया और पत्र संख्या 4479 दिनांक 30.08.2022 को अभिलेख में दर्ज किया। तदनुसार, एम.जे.सी. संख्या 1355/2022 का आदेश दिनांक 01.09.2022 के तहत निपटारा कर दिया गया।

13. याचिकाकर्ताएं अब दिनांक 21.10.2022 की बैठक में लिए गए निर्णय से व्यथित हैं, जिसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव, निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार

सरकार, पटना की अध्यक्षता में पारित दिनांक 21.10.2022 की बैठक के कार्यवृत्त के खंड 17 के अनुसार, मॉडल विलेख के माध्यम से पंजीकरण को 50% तक बढ़ाने और विलेख लेखकों के माध्यम से पंजीकरण को 50% तक बढ़ाने की नीति अपनाई गई थी।

14. याचिकाकर्ता इस निर्णय से व्यथित हैं, क्योंकि पहला यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(जी) और 21 का घोर उल्लंघन है तथा सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 10973/2016, सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 11384/2016 और समरूप (अनुलग्नक-2) में पारित दिनांक 17.09.2016 के निर्णय की जानबूझकर अवहेलना करता है। दूसरा, उत्तरदाता अधिकारियों, विशेष रूप से अतिरिक्त मुख्य सचिव, पंजीकरण उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना को पंजीकरण अधिनियम, 1908 और नियम 1996 के प्रावधानों के साथ-साथ बिहार विलेख लेखक अनुज्ञप्ति नियम, 1996 के प्रावधानों के विपरीत कोई अधिकार क्षेत्र नहीं मिला है ताकि नियमों के प्रावधानों और अनुज्ञप्ति की शर्तों में संशोधन किए बिना मॉडल विलेख के आधार पर दस्तावेज के पंजीकरण के लिए मौखिक रूप से निर्देश दिया जा सके।

15. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि उत्तरदाता-अतिरिक्त मुख्य सचिव पंजीकरण उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार ने 21.10.2022 को एक बैठक बुलाई, और बैठक के कार्यवृत्त के खंड 17 के संदर्भ में, उन्होंने संकल्प लिया है कि पंजीकरण का सामान्य स्लॉट चुना गया है और जिलों के सभी पंजीयकों और उप-पंजीयकों को मौखिक रूप से निर्देश दिया है कि वे पंजीकरण की अनुमति केवल पहले के पत्र संख्या 5381 दिनांकित 19.07.2022 के संदर्भ में मॉडल विलेख पर दें, जिसे पत्र संख्या 4479 दिनांकित 30.08.2022 द्वारा वापस ले लिया गया।

16. विद्वान अधिवक्ता ने सूचित किया कि निबंधन कार्यालय, जिला पंजीयक और उप-पंजीयक केवल मॉडल विलेख के आधार पर तैयार किए गए दस्तावेजों/उपकरणों को स्वीकार कर रहे हैं, जो कि सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 10973/2016, सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या

11384/2016 और समरूप मामलों में पारित दिनांक 17.09.2016 के निर्णय और आदेश का घोर उल्लंघन और अवहेलना है। याचिकाकर्ताओं को अतिरिक्त मुख्य सचिव, पंजीकरण उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना, जिनके पास पंजीकरण अधिनियम, 1908 के प्रावधानों के तहत कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, के मौखिक निर्देश के आधार पर हस्तलिखित उपकरण प्रस्तुत करने से प्रतिबंधित किया गया है, साथ ही बिहार विलेख लेखक अनुज्ञप्ति नियम, 1996 केवल मॉडल विलेख पर दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए मौखिक रूप से निर्देश देने के लिए और किसी अन्य रूप में मौखिक निर्देश का पालन नहीं करने के लिए जिले के पंजीयक और उप-पंजीयक ने विलेख लेखकों द्वारा लिखे गए कार्यों को स्वीकार करना शुरू कर दिया है जो कि पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 68 ए का उल्लंघन है, जिसे पंजीकरण (बिहार) संशोधन अधिनियम, 1991 द्वारा डाला गया है। बिहार पंजीकरण अधिनियम, 1908 के स्पष्ट प्रावधान के साथ-साथ बिहार विलेख लेखक अनुज्ञप्ति नियम, 1996 को विभाग के वरिष्ठ प्राधिकरण द्वारा कार्यकारी निर्देश/मौखिक निर्देश जारी करके और बड़े पैमाने पर जनता के हित में भी नहीं लिया जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि दिनांक 26.10.2022 की बैठक के खंड 17 के कार्यवृत्त में मॉडल विलेख के माध्यम से पंजीकरण में 42% की वृद्धि दर्ज की गई है और मौखिक रूप से मॉडल विलेख के माध्यम से पंजीकरण को 50% तक और विलेख लेखक के माध्यम से पंजीकरण को 50% तक बढ़ाने का निर्देश दिया गया है जो अवैध और कानून के अधिकार के बिना है और बैठक के खंड 17 के आधार पर किसी भी कार्रवाई को तत्काल प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है अन्यथा यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(जी) और 21 का उल्लंघन होगा।

17. विद्वान अधिवक्ता ने आगे दलील दी कि यह अच्छी तरह से तय है कि एक अधिनियम जो सीधे मौखिक अधिकार को प्रतिबंधित करता है, उसे अप्रत्यक्ष रूप से निष्पादित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उत्तरदाता अधिकारियों ने मौखिक आदेश जारी करके, यदि प्रत्यक्ष रूप से नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सी. डब्ल्यू. जे. सी. सं.

10973/2016 में पारित इस माननीय न्यायालय के दिनांकित 17.09.2016 के फैसले को बेअसर कर दिया है। यह कार्रवाई अवमाननापूर्ण है और 2016 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 10973 में पारित इस न्यायालय के विशिष्ट निर्देश और अवलोकन का घोर उल्लंघन है। उन्होंने आगे कहा कि वास्तव में, यह अनुज्ञप्ति विलेख लेखकों को अनावश्यक बना देगा।

18. उत्तरदाता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि वर्तमान मामले के तथ्य 2016 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 10973 के तथ्यों से पूरी तरह से अलग हैं। इस संबंध में उन्होंने दलील दी कि उक्त मामले में मुद्दा यह था कि क्या अतिरिक्त मुख्य सचिव, पंजीकरण उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 68 ए और 69 बी के अनुसार कोई भी निर्देश जारी करने के लिए सक्षम था। उक्त संदर्भ में, इस न्यायालय ने निर्णय दिया है कि पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 69 (1) के संदर्भ में बिहार सरकार के पंजीकरण के महानिरीक्षक, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग और बिहार सरकार के पंजीकरण उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने पृष्ठ 127 के कंडिका संख्या 2 पर भरोसा किया है जो इस प्रकार है:

“मैंने पहले ही चर्चा की है, धारा 69 (1) के अंतर्निहित वैधानिक प्रावधान जो महानिरीक्षक को 'अधिनियम' के अनुरूप नियम बनाने के लिए विशेष अधिकार क्षेत्र प्रदान करते हैं और 1947 के बिहार अधिनियम 14 द्वारा शामिल खंड (खख) उन्हें दस्तावेज लेखकों को अनुज्ञप्ति देने, ऐसे अनुज्ञप्ति के निलंबन और रद्द करने, उन नियमों और शर्तों से संबंधित नियम बनाने का अधिकार देता है जिनके तहत अनुज्ञप्ति दिए जा सकते हैं और आम तौर पर दस्तावेजों के लेखन से जुड़े सभी उद्देश्यों के लिए, जिन्हें पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किया जाना है। इस प्रकार 'अधिनियम' दस्तावेज लेखकों के अनुज्ञप्ति देने या उनके निलंबन/रद्द करने से संबंधित नियम बनाने के लिए पंजीकरण महानिरीक्षक को विशेष अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है।”

19. उन्होंने आगे दलील दी कि उपरोक्त कंडिका में किए गए अवलोकन के आलोक में, इस न्यायालय ने दिनांकित 13.06.2016 के ज्ञापन संख्या 2867 को रद्द कर दिया। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता नियम 9 के उप-नियम (ज) से व्यथित हैं, जिसका उल्लेख नीचे किया गया है:

“9(ज) कि वह पंजीकरण के लिए दस्तावेजों या प्रतियों की तैयारी और प्रतिलेखन के संबंध में अनुज्ञप्ति प्राधिकरण या पंजीकरण महानिरीक्षक द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले किसी भी निर्देश का पालन करेगा;

20. नियम 9 का उप-नियम (ज) महानिरीक्षक, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना को यह अधिकार देता है कि वह 17.10.2022 को महानिरीक्षक, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना की अध्यक्षता में हुई कार्यवाही के बाद सभी पंजीयकों को मॉडल विलेख के आधार पर विलेख पंजीकृत करने के लिए मौखिक निर्देश के साथ-साथ लिखित निर्देश भी न दे। वह 'अनुलग्नक-ड' में निहित कार्यवाही के विवरण का हवाला देते हैं, जिसमें निम्नलिखित कहा गया है:

“मॉडल प्रारूप में विलेखों का पंजीकरण भी नीचे लिखे गए निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए फायदेमंद है:-

1. मॉडल प्रारूप पंजीकरण उद्देश्य के लिए दस्तावेज की टंकन की गई प्रति प्रदान करता है। टंकन की गई प्रतिलिपि हाथ से लिखे गए दस्तावेज की तुलना में अधिक सुपाठ्य है।

2. दस्तावेज में किसी भी सुधार/हस्तक्षेप का आसानी से दस्तावेज के मॉडल प्रारूप/टंकन की गई प्रति में पता लगाया जा सकता है।

3. आम जनता बिना किसी दलाल/दलालों की मदद के स्वयं ही पंजीकरण योग्य दस्तावेज तैयार कर सकेगी, जिससे समय और अतिरिक्त खर्च की भी बचत होगी।

4. मॉडल प्रारूप पंजीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया के सुचारु संचालन की सुविधा भी प्रदान करेगा क्योंकि आम

जनता दस्तावेज तैयार कर सकती है और स्वयं अपलोड कर सकती है।

इसलिए ऊपर बताए गए सभी तथ्य विभाग द्वारा अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर तैयार/विकसित और प्रकाशित मॉडल प्रारूप पर पंजीकरण की प्रक्रिया को लागू करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। सभी डी. एस. आर./एस. आर. को आम जनता की सुविधा के लिए सभी प्रकार के कार्यों के लिए मॉडल विलेख प्रारूप को लागू करने का निर्देश दिया जा सकता है।”

21. उन्होंने आगे दलील दी कि बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 21.10.2022 के खंड 17 के संदर्भ में जिसे अतिरिक्त मुख्य सचिव, पंजीकरण उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग द्वारा प्रशासनिक पक्ष से पारित किया गया है और सहायक महानिरीक्षक पंजीकरण बिहार द्वारा जिले के सभी पंजीयकों और उप-पंजीयकों को सूचित किया गया है कि 13.10.2022 से 19.10.2022 की अवधि के दौरान पंजीकृत मॉडल विलेखों के माध्यम से पंजीकरण के मूल्यांकन को 42 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है।

22. उन्होंने आगे दलील दी कि मॉडल विलेख के माध्यम से पंजीकरण के लाभ को सुविधा के लिए जवाबी हलफनामे के कंडिका सं. 18 में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है, जिसे यहां नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“क। मॉडल विलेख की अवधारणा को विभाग द्वारा पंजीकरण कार्यालयों से जुड़े दलालों/दलालों के हाथों आम जनता के शोषण से बचाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है।

ख। मॉडल प्रारूप पंजीकरण उद्देश्य के लिए दस्तावेज की टंकन की गई प्रति प्रदान करता है। टंकन की गई प्रति हाथ से लिखे गए दस्तावेज की तुलना में अधिक सुपाठ्य है।

ग। किसी दस्तावेज में किसी भी सुधार/अंतर्वेशन का आसानी से एक मॉडल प्रारूप/दस्तावेज की टंकन की गई प्रति में पता लगाया जा सकता है।

घ। आम जनता दलाल/दलालों की किसी भी

सहायता के बिना अपने दम पर पंजीकरण योग्य दस्तावेज तैयार करने में सक्षम होगी जिससे समय और अतिरिक्त खर्च की भी बचत होगी।

ड। मॉडल प्रारूप पंजीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया के सुचारु संचालन की सुविधा भी प्रदान करेगा क्योंकि आम जनता दस्तावेज तैयार कर सकती है और स्वयं अपलोड कर सकती है।

च। मॉडल विलेख प्रारूप आसानी से समझने योग्य पारंपरिक भाषा (विलेख लेखकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कठिन और अपरंपरागत शब्दों के बजाय) में बनाया जाता है जिसे आम लोग (आज के राजस्व न्यायालय और वित्तीय न्यायालय सहित) समझ सकते हैं।”

23. विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि मॉडल विलेख के आधार पर पंजीकरण के माध्यम से करों में 20.15% की वृद्धि हुई है। अप्रैल 2022 से नवंबर 2022 की अवधि में राजस्व में लगभग 40% की वृद्धि हुई है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि के दौरान एकत्रित राजस्व की तुलना में 4199.43 करोड़ रुपये है। इसलिए मॉडल विलेख के माध्यम से पंजीकरण को 50 प्रतिशत तक और विलेख लेखकों के माध्यम से पंजीकरण को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए एक नीति अपनाई गई है।

24. विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सीडब्ल्यूजेसी संख्या 6708/2016 में पारित आदेश के आधार पर अपने तर्क का समर्थन किया, जिसे आगे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“नियमों के प्रावधानों के अनुसार, विशेष रूप से अनुज्ञप्ति की शर्तों से संबंधित नियम 9, नियमों के नियम (9) (1) का उप-नियम (ज) निम्नानुसार है: (ज) कि वह पंजीकरण के लिए दस्तावेजों या प्रतियों को तैयार करने और प्रतिलेखन के संबंध में अनुज्ञप्ति प्राधिकरण या पंजीकरण महानिरीक्षक द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले किसी भी निर्देश का पालन करेगा।”

25. उपरोक्त पृष्ठभूमि में विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि इस न्यायालय को जनता के हित में अपनाई गई नीति में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए।

26. पक्षकारों के लिए विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा की गई प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करने के बाद और उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह निर्धारित करने के लिए मुख्य प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या अतिरिक्त मुख्य सचिव, निषेध और उत्पाद शुल्क सह पंजीकरण के पास प्रशासनिक आधार पर कोई शक्ति है या पंजीकरण महानिरीक्षक के पास मौखिक रूप से जिलों के पंजीयक और उप-पंजीयक को उस अधिनियम की धारा 69 (1) (बी) के तहत घोषित किए गए किसी भी नियम या नियम, 1996 में किसी भी संशोधन के अभाव में मॉडल विलेख प्रारूप के आधार पर 50 प्रतिशत पंजीकरण की अनुमति देने का निर्देश देने का अधिकार है। दूसरा, इस तरह के मौखिक निर्देश से अनुज्ञप्तिधारी विलेख लेखक बेकार हो गए हैं और तीसरा, यह इस न्यायालय द्वारा 2016 के सीडब्ल्यूजेसी संख्या 10973 और अन्य समरूप मामलों में पारित निर्णय का उल्लंघन करते हुए जारी किया गया है, जिसमें यह पूछा गया है कि क्या मॉडल विलेख के माध्यम से पंजीकरण में 42% तक की रिकॉर्ड वृद्धि का आकलन करना उचित है, जो पिछले वित्तीय वर्ष में एकत्रित राजस्व की तुलना में राजस्व में लगभग 40% की वृद्धि है।

27. पंजीकरण कार्यालय राज्य सरकार के सबसे पुराने सरकारी कार्यालय हैं जिनकी उत्पत्ति वर्ष 1865 में हुई थी, पंजीकरण पर कानून पहली बार वर्ष 1864 में लागू किया गया था। वर्तमान रूप पंजीकरण अधिनियम (1908 का अधिनियम XVI) भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 के रूप में अधिनियमित किया गया था और बाद में समय-समय पर इसमें संशोधन किया गया था। भारतीय पंजीकरण अधिनियम से "भारतीय" शब्द अधिनियम संख्या 45, 1969, 26.12.2029 से प्रभावी संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। यह कार्यालय मुख्य रूप से 2001 के संशोधन अधिनियम 48 के साथ पंजीकरण अधिनियम, 1908 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के साथ-साथ विशेष विवाह अधिनियम, 1954

जैसे अन्य अधिनियमों का प्रशासन करता है, जिसमें ओडिशा पंजीकरण नियम, 1988, ओडिशा स्टाम्प नियम, 1952, ओडिशा स्टाम्प और स्टाम्प पेपर की आपूर्ति और बिक्री नियम, 1990, ओडिशा धन ऋण नियम, ओडिशा विशेष विवाह नियम, 1965, ओडिशा विलेख लेखक के अनुज्ञप्ति नियम, 1979 आदि जैसे नियम शामिल हैं।

28. पंजीकरण विभाग एक सेवा-उन्मुख विभाग है। लेकिन हाल ही में यह राजस्व-संग्रह-उन्मुख विभाग बन गया है, जो "जन्म से लेकर मृत्यु तक", समग्र समाज से अविभाज्य और अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है।

29. पंजीकरण कानून का मुख्य उद्देश्य दस्तावेज की वास्तविकता का निर्णायक प्रमाण प्रदान करना है, लेन-देन के लिए प्रचार करना, धोखाधड़ी को रोकना, यह पता लगाने की सुविधा प्रदान करना है कि क्या किसी संपत्ति का लेन-देन पहले ही किया जा चुका है और स्वत्व विलेखों की सुरक्षा प्रदान करना और मूल विलेख खो जाने या नष्ट होने की स्थिति में स्वत्व प्रदान करने की सुविधा प्रदान करना है। वर्तमान में पंजीकरण विभाग राज्य के खजाने के लिए राजस्व के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है। पंजीकरण कानून लेन-देन के बजाय दस्तावेजों को नियंत्रित करता है।

30. बिहार विलेख लेखक अनुज्ञप्ति नियम, 1996 के नियम 6 और नियम 9 (घ) और (छ) के प्रासंगिक खंडों को निर्धारित करना सुविधाजनक होगा, जिन्हें इसके बाद पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“6. दस्तावेज लेखकों की संख्या।- अनुज्ञप्ति प्राधिकरण आम जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक अधीनस्थ पंजीकरण कार्यालय के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त दस्तावेज लेखकों की संख्या तय करेगा।

9. अनुज्ञप्ति की शर्तें।- (1) दस्तावेज लेखक अनुज्ञप्ति की निम्नलिखित शर्तें होंगी:-

(ड०) वह दस्तावेजों को सुपाठ्य रूप से लिखेगा या लिखवाएगा तथा उन अनुदेशों के अनुसार लिखेगा जो लाइसेंसिंग प्राधिकारी या पंजीकरण महानिरीक्षक द्वारा समय-समय पर जारी किए

जाएं;

(छ) कि वह सावधानीपूर्वक, उचित रूप से और स्पष्ट और स्पष्ट शब्दों में दस्तावेज लिखेगा या लिखवाएगा।”

31. विलेख लेखकों के काम की शर्तों को नियंत्रित करने और विनियमित करने के लिए बिहार विलेख लेखक अनुज्ञप्ति नियम, 1996 में विभिन्न प्रावधान निहित हैं। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य कुछ शर्तों पर अनुज्ञप्ति देने का प्रावधान करना है। इस प्रकार बनाए गए नियम के संशोधन या प्रविष्टि के मामले में अनुमोदन के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा, और उनकी मंजूरी के बाद इसे आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित करने की आवश्यकता है। अनुज्ञप्ति प्राप्त विलेख लेखकों का मुख्य लाभ विलेख और दस्तावेज लिखने के लिए पंजीकरण कार्यालय या उप-निबंधन कार्यालय के दायरे में होना है। प्रासंगिक नियम 13, 15 और 21 निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:-

“13. अनुज्ञप्ति रद्द करना और निलंबित करना।- (1)
अनुज्ञप्ति प्राधिकरण निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर किसी दस्तावेज लेखक या प्रशिक्षु के अनुज्ञप्ति को किसी भी समय निलंबित या रद्द कर सकता है:-

(क) किसी भी नियम या अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन;

(ख) बिना किसी उचित कारण के या अनुज्ञप्ति प्राधिकरण या पंजीकरण अधिकारी, जिसके अधिकार क्षेत्र में वह काम कर रहा है, की अनुमति या अनुमति के बिना छह महीने से अधिक की अवधि के लिए पंजीकरण कार्यालय में उपस्थित होने में विफलता।

15. महानिरीक्षक पंजीयन की शक्तियां।- महानिरीक्षक पंजीयन को इन नियमों के अधीन दी गई लाइसेंसिंग प्राधिकारी की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी।

21. पर्यवेक्षण और नियंत्रण।- उप-पंजीयक का यह कर्तव्य होगा कि वह देखे कि उसके कार्यालय से जुड़े दस्तावेज लेखक निर्धारित पंजिका और रसीद पुस्तकों को उचित तरीके से बनाए रखें और किसी भी अनुज्ञप्ति प्राप्त दस्तावेज लेखक और अनुज्ञप्ति प्राप्त प्रशिक्षुओं द्वारा किसी भी तरह से कोई कदाचार नहीं किया जाता है ताकि जनता को परेशान किया जा सके। यदि उसे कदाचार का ऐसा

कोई मामला मिलता है तो वह तुरंत आवश्यक कार्रवाई के लिए अपने जिला पंजीयक को मामले की रिपोर्ट करेगा।”

32. महत्वपूर्ण रूप से, याचिकाकर्ताओं या अन्य समान रूप से स्थित अनुज्ञप्तिधारियों के मामले में अनुज्ञप्ति की किसी भी शर्त का कोई उल्लंघन नहीं पाया गया, जो बहुमत में थे। इसके बावजूद, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पंजीकरण उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना ने मौखिक रूप से वर्तमान याचिका में आक्षेपित बैठक के कार्यवृत्त के खंड 17 द्वारा विलेख लेखकों के माध्यम से पंजीकरण के सामान्य स्थान को बंद करने का निर्देश दिया, जिसमें निम्नानुसार निर्देश दिया गया है:

“दिनांक-21.10.2022 को अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अपराह्न 03:30 बजे निबंधन पक्ष से संबंधित कार्यों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही ।

ई-स्टाम्प बिक्री एवं एसीसी काउंटर के कार्यों की समीक्षा।

1. निबंधन कार्यालयों में बिहार राज्य सहकारी बैंक लि. तथा सभी जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से ई-स्टाम्प की बिक्री की समीक्षा के क्रम में एसएचसीआईएल के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि वर्तमान में कुल 131 निबंधन कार्यालयों में सहकारी बैंक के माध्यम से ई-स्टाम्प की बिक्री की जा रही है।
2. सहकारी बैंक द्वारा संचालित एसीसी काउंटर पर पीओएस मशीन/क्यूआर कोड लगाये जाने की समीक्षा अपर मुख्य सचिव द्वारा की गई। जिला अवर निबंधक/अवर निबंधक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर यह पाया गया कि 34 निबंधन कार्यालयों में पीओएस मशीन तथा 57 निबंधन कार्यालयों में क्यूआर कोड के माध्यम से राशि जमा करने की सुविधा उपलब्ध है, किन्तु प्रबंध निदेशक बिहार राज्य सहकारी बैंक द्वारा बताया गया कि 43 निबंधन कार्यालयों में पीओएस

मशीन/क्यूआर कोड तथा 49 निबंधन कार्यालयों में क्यूआर कोड के माध्यम से ई-स्टाम्प की बिक्री की राशि जमा करने की सुविधा उपलब्ध करायी गई है।

3. अपर मुख्य सचिव द्वारा विभागीय पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि पीओएस मशीन/क्यूआर कोड संबंधी प्रतिवेदन प्रबंध निदेशक बिहार राज्य सहकारी बैंक को उपलब्ध करा दिया जाय ताकि भविष्य के समीक्षात्मक बैठकों में पीओएस मशीन/क्यूआर कोड के संबंध में सही प्रतिवेदन रखा जा सके।
4. प्रबंध निदेशक बिहार राज्य सहकारी बैंक द्वारा बताया गया कि पीओएस मशीन/क्यूआर कोड के माध्यम से ई-स्टाम्प की राशि जमा करने की सुविधा बिहार राज्य सहकारी बैंक के स्तर से जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के स्तर से एक्सिस बैंक का चयन किया गया है।

एक्सिस बैंक के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि 06 निबंधन कार्यालयों में एक सप्ताह के अंदर पीओएस मशीन/क्यूआर कोड की सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी तथा अन्य जगहों पर कागजी कार्रवाई पूरी करने के पश्चात् पीओएस मशीन/क्यूआर कोड की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

5. अपर मुख्य सचिव द्वारा प्रबंध निदेशक बिहार राज्य सहकारी बैंक तथा सभी जिला केंद्रीय सहकारी बैंक को निदेश दिया गया कि दिनांक-28.10.2022 तक सभी निबंधन कार्यालयों के एसीसी काउन्टर पर पीओएस मशीन/क्यूआर कोड की सुविधा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
6. माननीय उच्च न्यायालय सहित सभी व्यवहार न्यायालयों में सहकारी बैंक के माध्यम से ई-कोर्ट फी की बिक्री किये जाने के संबंध में एसएचसीआईएल के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि प्रबंध निदेशक बिहार राज्य सहकारी बैंक लि. से समझौता कर लिया गया है तथा व्यवहार न्यायालय, पटना में सहकारी बैंक के माध्यम से ई-कोर्ट फी की बिक्री यथाशीघ्र प्रारंभ कर दी जायेगी।

अपर मुख्य सचिव द्वारा विभागीय पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि प्रत्येक दिन सुबह में किये जाने वाले समीक्षात्मक बैठक में इसका भी प्रतिवेदन रखा जाय कि 79 व्यवहार न्यायालयों में से कितने न्यायालयों में सहकारी बैंक के माध्यम से ई-कोर्ट फीस की बिक्री की जा रही है।

7. अपर मुख्य सचिव द्वारा सभी जिला अवर निबंधकों को निदेश दिया गया कि एसएचसीआईएल के माध्यम से बिक्री किये जा रहे ई-स्टाम्प एवं ई-कोर्ट फीस की राशि राज्य सरकार के कोष में एकरारनामा के प्रावधानों के अनुरूप T+1 में जमा किये जाने की जाँच प्रत्येक कार्यदिवस में अपने स्तर से किया जाना सुनिश्चित की जाय।

8. सहकारी बैंक के माध्यम से बिक्री किये जा रहे ई-स्टाम्प को निर्गत किये जाने की प्रणाली की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में एसएचसीआईएल के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि सहकारी बैंक द्वारा उपलब्ध करायी गई राशि के मूल्य के बराबर ही एसएचसीआईएल द्वारा स्-आम्प निर्गत करने की सुविधा प्रदान की जाती है तथा एसएचसीआईएल द्वारा T+1 में ई-स्टाम्प बिक्री की राशि राज्य सरकार के कोष में जमा किया जाता है।

इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि सहकारी बैंक द्वारा स्वयं T+1 में ई-स्टाम्प बिक्री की राशि राज्य सरकार के कोष में जमा किया जा सकता है तथा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई किये जाने का निदेश अपर मुख्य सचिव द्वारा दिया गया ।

9. अपर मुख्य सचिव द्वारा प्रबंध निदेशक बिहार राज्य सहकारी बैंक लि. को निदेश दिया गया कि ई-स्टाम्प बिक्री हेतु अधिष्ठापित काउन्टरों का प्रत्येक माह ऑडिट कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

स्थल जाँच की समीक्षा

10. दस्तावेजों के निबंधन के सील जाँच से संबंधित विभाग द्वारा

निर्गत पत्र के संबंध में सभी जिला अवर निबंधकों को निदेश दिया गया कि समाहर्ता-सह-जिला निबंधक से संपर्क स्थापित कर स्थल निरीक्षण करने वाले पदाधिकारियों को प्राधिकृत कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

दस्तावेजों के डिजिटাইजेशन की समीक्षा

11. दस्तावेजों के डिजिटাইजेशन की समीक्षा के क्रम में अपर मुख्य सचिव को अवगत कराया गया कि 20 (बीस) जिलों में डिजिटাইजेशन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। अपर मुख्य सचिव द्वारा दस्तावेजों के डिजिटাইजेशन हेतु चयनित एजेन्सी के प्रतिनिधि को निदेश दिया गया है कि सभी निबंधन कार्यालयों में डिजिटাইजेशन का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

Suo Moto Mutation

12. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में निबंधित दस्तावेजों का Suo Moto Mutation किये जाने हेतु विवरणी भेजने की समीक्षा की गई तथा समीक्षोपरान्त इसे बंद किये जाने का निर्णय लिया गया।

रजिस्ट्री शटल की समीक्षा

13. निबंधनार्थी जनता के सुविधा हेतु चलाये गये “रजिस्ट्र शटल” नामक वाहनों की समीक्षा की गई तथा समीक्षोपरान्त पाया गया कि आम जनों द्वारा दस्तावेजों के निबंधन में ‘रजिस्ट्र शटल’ वाहन सेवा के प्रयोग में कम रुची दिखाई जा रही है। अतः ‘रजिस्ट्र शटल’ नामक वाहन सेवा को दिनांक-31.10.2022 से बंद करने का निर्णय लिया गया।

उच्च न्यायालय में लंबितवादों की समीक्षा

14. निबंधन कार्यालयों में उपलब्ध अभिलेखों में संधारित माननीय उच्च न्यायालय से संबंधितवादों की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि माननी उच्च न्यायालय में प्रतिशपथ-पत्र दायर करने हेतु लंबितवादों की संख्या-15 है। अतः संबंधित सभी जिला अवर निबंधकों /अवर निबंधकों को निदेश दिया गया कि

यथाशीघ्र लंबित वादों में प्रतिशपथ-पत्र दायर किया जाना सुनिश्चित की जाय।

अन्य कार्यालयों में भेजे गए दस्तावेज/अभिलेख

15. अपर मुख्य सचिव द्वारा निबंधन कार्यालयों के दस्तावेज /अभिलेख अन्य कार्यालयों यथा न्यायालय / समाहरणालय / समाहर्ता के यहाँ भेजे गए संबंधी प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि 1190 दस्तावेजों में से 487 दस्तावेज ही निबंधन कार्यालयों को प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में सभी जिला अवर निबंधकों को निदेश दिया गया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश से निजी संपर्क स्थापित कर दस्तावेजों की वापसी सुनिश्चित किया जाय।

रोक सूची की समीक्षा

16. अपर मुख्य सचिव द्वारा निबंधन कार्यालयों में संधारित रोक सूची में दर्ज मामलों की समीक्षा के क्रम में सभी जिला अवर निबंधकों को निदेश दिया गया कि समाहर्ता-सह-जिला निबंधक से संपर्क स्थापित कर नियमानुसार रोक सूची के प्लॉटों (खेसरा) को हटाया जाना सुनिश्चित किया जाय।

मॉडल विलेख के माध्यम से दस्तावेजों का निबंधन की समीक्षा

17. मॉडल विलेख के माध्यम से दस्तावेजों का निबंधन किये जाने की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि दिनांक-13.10.2022 से 19.10.2022 तक राज्य में कुल निबंधित दस्तावेजों का 42 प्रतिशत दस्तावेजों का निबंधन मॉडल विलेख के माध्यम से हुआ है। (emphasis supplied)

MPLS/VPN Connectivity की सुविधा की समीक्षा

18. MPLS/VPN Connectivity की सुविधा हेतु चयनित एजेन्सी एयरटेल के कार्यों की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 79 निबंधन कार्यालयों में MPLS/VPN Connectivity की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है।
19. निबंधन कार्यालयों में आने वाले आम-जनों में से एक गरीब / ग्रामीण महिला / विकलांग के दस्तावेज का निबंधन मॉडल

विलेख के माध्यम से निबंधन पदाधिकारियों के सहयोग से किये जाने संबंधी फोटो का अवलोकन किया गया।

सधन्यवाद बैठक की समाप्त की गयी।

ह 0/- अस्पष्ट

26.10.22

(मनोज कुमार संजय)

सहायक निबंधन, महानिरीक्षक
बिहार, पटना।”

33. उपरोक्त बैठक के बाद, अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सभी पंजीयक और उप-पंजीयक को मॉडल विलेख के माध्यम से और विलेख लेखकों के माध्यम से 50 प्रतिशत तक पंजीकरण स्वीकार करने का निर्देश देने का निर्णय लिया, जो 50 प्रतिशत हो सकता है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि इस तरह का मौखिक निर्देश विलेख लेखकों के दो वर्गों के बीच असंवैधानिक भेदभाव करता है। यह कहा जाता है कि अधिसूचना द्वारा बनाए गए नियमों के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त विलेख-लेखकों को नियंत्रित करने वाले नियमों के अनुसार, अनुज्ञप्ति प्राप्त विलेख-लेखक को नियमों में निर्धारित शर्तों को पूरा करना होगा। सबसे पहले, इन अनुज्ञप्ति प्राप्त विलेख-लेखकों को संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882, बंगाल किरायेदारी अधिनियम, 1885, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 और भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 के महत्वपूर्ण प्रावधानों का व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए।

34. भेदभाव का आरोप इस आधार पर लगाया जाता है कि अधिकांश अनुज्ञप्ति प्राप्त विलेख-लेखकों को उस नीति को अपनाकर निरर्थक बना दिया गया है जो अनुज्ञप्ति प्राप्त विलेख-लेखकों के लेखन विलेख के व्यवसाय को प्रभावित करती है और अपने लिए शुल्क लेती है और अनुज्ञप्ति प्राप्त विलेख-लेखकों की आजीविका का स्रोत है।

35. यह एक नई नीति की शुरुआत है जो अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है और संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा निषिद्ध

असंवैधानिक असमानता पैदा करती है।

36. इस न्यायालय ने 2016 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. सं. 10973 में पारित दिनांकित 17.09.2016 आदेश के संचालन भाग को पुनः प्रस्तुत करना लाभप्रद पाया, जिसे यहां पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“मैंने पहले ही धारा 69(1) में निहित वैधानिक प्रावधानों पर चर्चा की है, जो महानिरीक्षक को 'अधिनियम' के अनुरूप नियम बनाने का विशेष अधिकार प्रदान करते हैं और बिहार अधिनियम 14, 1947 द्वारा शामिल किया गया खंड (खख) उन्हें दस्तावेज लेखकों को अनुज्ञप्ति प्रदान करने, ऐसे अनुज्ञप्ति के निलंबन और रद्द करने, अनुज्ञप्ति प्रदान करने की शर्तों और सामान्यतः पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों के लेखन से जुड़े सभी उद्देश्यों से संबंधित नियम बनाने का अधिकार देता है। इस प्रकार, 'अधिनियम' पंजीकरण महानिरीक्षक को दस्तावेज लेखकों के अनुज्ञप्ति प्रदान करने या उसके निलंबन/रद्द करने से संबंधित नियम बनाने का विशेष अधिकार प्रदान करता है।”

37. इस न्यायालय ने उक्त निर्णय में अभिनिर्धारित किया कि प्रावधान इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह महानिरीक्षक, पंजीकरण है जो नियम बनाने के लिए अधिकार क्षेत्र में निहित है, जो अधिनियम के अनुरूप है और भले ही पंजीकरण उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग में प्रधान सचिव पदानुक्रम में एक प्राधिकरण है जो वैधानिक चरित्र वाले ऐसे निर्देशों को जारी करने की शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है, बहुत कम एक निर्देश जो 'अधिनियम' के साथ असंगत है।

38. इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग के प्रधान सचिव द्वारा दिनांक 13.06.2016 को पारित ज्ञापन संख्या 2867 अधिकार क्षेत्र के बिना और धारा 69 (1) के वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन है और 1947 के बिहार अधिनियम 14 द्वारा निगमित खंड (खख) के साथ भी असंगत है। यह कार्रवाई अधिनियम की धारा 69(1)(खख) के तहत बनाए गए लाइसेंसिंग नियमों के नियम

2(जी) के अनुरूप नहीं की जा सकती, जिसमें लाइसेंसिंग प्राधिकरण को किसी जिले के पंजिका के रूप में परिभाषित किया गया है और इसमें लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा पारित किसी भी आदेश के तहत उसकी ओर से अधिकृत कोई अन्य अधिकारी शामिल है, जो नियम 13 के तहत समर्थित किसी भी आधार पर दस्तावेज़ लेखकों या प्रशिक्षुओं का अनुज्ञप्ति रद्द करने के लिए अधिकृत है। नियम 14 के तहत पंजीकरण महानिरीक्षक के समक्ष अपील योग्य है और नियम 15 के तहत लाइसेंसिंग प्राधिकरण की शक्ति भी निहित है।

39. नियम 6 दस्तावेज़ तैयार करने के लिए निर्धारित करता है। नियम 7 दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करने का प्रावधान करता है। दो प्रासंगिक नियमों के अवलोकन पर भी मोडल विलेख के आधार पर दस्तावेज़ तैयार करने का प्रावधान नहीं किया गया है या मोडल विलेख आधारित दस्तावेज़ों की प्रस्तुति के लिए प्रक्रिया प्रदान की गई है।

40. अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि नागरिक को सीमितताओं के अधीन पेशे, किसी भी व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय को जारी रखने का अधिकार है और राज्य उन नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं कर सकता है जो पेशे, व्यापार या व्यवसाय को जारी रखने के लिए योग्य हैं।

41. राज्य अपने राजस्व को अधिकतम करने की दृष्टि से कोई भी तरीका अपना सकता है जब तक कि अपनाई गई विधि भेदभावपूर्ण न हो।

42. कर और शुल्क लगाकर राजस्व जुटाने की राज्य की शक्ति को संबंधित व्यापार या व्यवसाय को प्रतिबंधित या विनियमित करने की राज्य की शक्ति के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। राज्य ऐसे अवसरों पर अपनी दो अलग-अलग शक्तियों का प्रयोग करता है। हालाँकि, राज्य अनुच्छेद 19(6) के तहत आम जनता के हित में पेशे, किसी भी व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय के अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है।

43. याचिकाकर्ताओं के दावे का परीक्षण करने के लिए, अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत परिकल्पित स्वतंत्रता के दायरे में इसका परीक्षण किया जाना आवश्यक है। भारतीय

संविधान के तहत व्यापार के संबंध में प्रासंगिक स्वतंत्रता और प्रतिबंध।

44. माननीय उच्चतम न्यायालय ने (1995) 1 एस. सी. सी. 574 में प्रतिवेदित आबकारी मामले में भी *खोडे डिस्टिलरीज लिमिटेड और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य*, उत्पाद शुल्क नीति पर सवाल उठाया गया था कि उसने पीने योग्य शराब में व्यापार और व्यवसाय करने के अधिकार को प्रभावित किया है:

“(क) अनुच्छेद 19 (1) द्वारा संरक्षित अधिकार निरपेक्ष नहीं हैं बल्कि योग्य हैं। योग्यताएँ अनुच्छेद 19 के खंड (2) से खंड (6) में बताई गई हैं। इसलिए, अनुच्छेद 19 (1) (ए) से (जी) में गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को उक्त योग्यताओं के साथ पढ़ा जाना चाहिए। यहां तक कि अन्य सभ्य देशों के संविधानों के तहत गारंटीकृत अधिकार भी निरपेक्ष नहीं हैं, लेकिन उन पर निहित सीमाओं के अधीन हैं। उन निहित सीमाओं को हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड (2) से (6) द्वारा स्पष्ट किया गया है। (जोर दिया गया)

(ख) किसी भी पेशे को अपनाने या किसी भी व्यवसाय, व्यापार या कारोबार को चलाने का अधिकार, किसी ऐसे पेशे को अपनाने या किसी व्यवसाय, व्यापार या कारोबार को चलाने तक विस्तारित नहीं होता है जो स्वाभाविक रूप से दुष्ट और हानिकारक है, और जिसकी सभी सभ्य समाजों द्वारा निंदा की जाती है।”

45. कई न्यायिक घोषणाओं पर ध्यान देते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने (2022) 3 एससीसी 694 में प्रतिवेदित *अक्षय एन. पटेल बनाम भारतीय रिज़र्व बैंक* मामले के कंडिका संख्या 16 में निम्नलिखित निर्णय दिया:

“16. इस न्यायालय ने लगातार यह भी माना है कि व्यापार और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध एक पूर्ण निषेध [नरेंद्र कुमार बनाम भारत संघ, ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 430] का रूप ले सकता है। हालाँकि, बी. पी. शर्मा बनाम भारत संघ [बी. पी. शर्मा बनाम भारत संघ, (2003) 7 एस. सी. सी. 309] में, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने निषेधात्मक प्रतिबंध लगाने के लिए एक उच्च सीमा का समर्थन किया है। अनुच्छेद 19 (6) के

तहत तर्कसंगतता प्रदर्शित करने के अपने बोझ का निर्वहन करने के लिए राज्य द्वारा इस तरह के निषेध को लागू न करके आम जनता के प्रति एक वैध उद्देश्य और पूर्वाग्रह का प्रदर्शन किया जाना चाहिए। बृजेश कुमार, न्यायमूर्ति ने अभिनिर्धारित किया: (एस. सी. सी. पीपी. 318-19, कंडिका 15)

15. अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत स्वतंत्रता को कुछ परिस्थितियों में भी पूरी तरह से कम किया जा सकता है, उदाहरण के लिए जहां चुना गया पेशा इतना स्वाभाविक रूप से हानिकारक है कि किसी को भी जुआ, सट्टा या नशीले पदार्थों का व्यापार या सार्वजनिक स्वास्थ्य और नैतिकता के लिए हानिकारक गतिविधि जैसे व्यवसाय, व्यापार, व्यवसाय या पेशे को चलाने का मौलिक अधिकार नहीं माना जा सकता। इस स्तर पर इस न्यायालय के कुछ निर्णयों का उल्लेख करना उपयोगी हो सकता है जैसे कि सागीर अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। [सागीर अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1955) 1 एस. सी. आर. 707:ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 728] और जे. के. इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम कारखाने और बॉयलर [जे. के. इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम कारखाने और बॉयलर, (1996) 6 एस. सी. सी. 665:1997 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 1]। अधिकार के प्रयोग को सीमित करने का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच संतुलन बनाना है। हालाँकि, स्वतंत्रता, जैसा कि अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत गारंटी दी गई है, मूल्यवान है और इसका उल्लंघन उन आधारों पर नहीं किया जा सकता है जो सार्वजनिक हित में या सिर्फ इस आधार पर स्थापित नहीं हैं कि ऐसा करने की अनुमति है। किसी भी व्यावसायिक गतिविधि पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए, किसी वैध उद्देश्य को प्राप्त करने की दृष्टि से इसके लिए कोई ठोस कारण होना चाहिए और इस तरह के प्रतिबंध को लागू न करने की स्थिति में, इसके परिणामस्वरूप सामान्य रूप से लोगों के हित खतरे में पड़ सकते हैं या गंभीर रूप से प्रभावित हो सकते हैं। यदि ऐसा नहीं है, तो यह एक उचित प्रतिबंध नहीं होगा यदि अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत गारंटीकृत अधिकार के प्रयोग पर रखा जाए। "आम जनता के हित में" वाक्यांश पर कई निर्णयों में विचार किया गया है और यह माना गया है कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य और नैतिकता जैसे इसके दायरे में होगा।" (जोर दिया गया)

46. सवाल यह उठता है कि क्या विलेख लेखकों पर लगाए गए प्रतिबंध उचित हैं?

47. यह न्यायालय न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य के नीतिगत निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, जब तक कि उन्हें दुर्भावनापूर्ण, अनुचितता, मनमानेपन या अनुचितता के आधार पर दोष नहीं दिया जा सकता है। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने (2001) 3 एससीसी 635 में प्रतिवेदित उगर शुगर वर्क्स लिमिटेड बनाम दिल्ली प्रशासन एवं अन्य में कहा है।

"18.....अदालतों से इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने की अपेक्षा नहीं की जाती है कि क्या किसी विशेष समय पर या किसी विशेष स्थिति में ऐसी कोई नीति अपनाई जानी चाहिए थी या नहीं। इसे राज्य के विवेक पर छोड़ देना सबसे अच्छा है।"

48. (1986) 4 एससीसी 566 में प्रतिवेदित मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम नंदलाल जायसवाल एवं अन्य में, राज्य की शराब नीति से संबंधित एक मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के लिए नीति में हस्तक्षेप किया है, यहां तक कि संविधान के अनुच्छेद 47 के अधिदेश के संदर्भ में उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं में व्यापार करने का किसी को भी मौलिक अधिकार नहीं है, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्णय देने की सीमा तक गया है: -

"34. लेकिन, ऐसे मामले में अनुच्छेद 14 की प्रयोज्यता पर विचार करते हुए, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि व्यापार या व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय शराब के निर्माण और बिक्री के लिए अनुज्ञप्ति देने के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति में हस्तक्षेप करने में धीमी गति से काम करेगा, जो अनिवार्य रूप से आर्थिक नीति का विषय होगा, जहां न्यायालय हस्तक्षेप करने और राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों को रद्द करने में संकोच करेगा, जब तक कि यह स्पष्ट रूप से मनमाना, तर्कहीन या दुर्भावनापूर्ण न लगे। आर. के. गर्ग बनाम भारत संघ (1981) 4 एस. सी. सी. 675 [1982 एस. सी. सी. (कर) 30:ए. आई. आर 1981 एस. सी. 2138:(1982) 1 एससीआर 947] में आर्थिक गतिविधियों से संबंधित कानूनों पर विचार करते समय हमें अनुच्छेद 14 के

तहत न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की गुंजाइश पर विचार करने का अवसर मिला। उस मामले में इंगित किया गया कि आर्थिक गतिविधियों से संबंधित कानूनों को नागरिक अधिकारों जैसे बोलने की स्वतंत्रता, धर्म आदि को छूने वाले कानूनों की तुलना में अधिक अक्षांश के साथ देखा जाना चाहिए। यह देखा गया कि विधायिका को कुछ हद तक काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि उसे जटिल समस्याओं से निपटना पड़ता है जिनका समाधान किसी सिद्धांत या पूर्वनिर्धारित विधि से संभव नहीं है और यह आर्थिक मामलों से संबंधित कानून के मामले में विशेष रूप से सत्य है, जहाँ, जिन समस्याओं से निपटना आवश्यक है उनकी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, विधायिका को अधिक से अधिक काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

उस मामले में हमने जो कहा था आर्थिक मामलों से संबंधित कानून आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र में कार्यकारी कार्रवाई के संबंध में भी समान रूप से लागू होना चाहिए, हालाँकि न्यायिक सम्मान के संबंध में कार्यकारी निर्णय को विधायी निर्णय जितना ऊँचा स्थान नहीं दिया जा सकता। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जटिल आर्थिक मामलों में प्रत्येक निर्णय अनिवार्य रूप से अनुभवजन्य होता है और यह प्रयोग पर आधारित होता है या जिसे कोई 'परीक्षण और त्रुटि विधि' कह सकता है और इसलिए, इसकी वैधता का परीक्षण डब्ल्यू पी(सी) संख्या 3494/2020 पृष्ठ 20 किसी भी कठोरता, "कारण-कार्य-तर्क" पर या किसी भी पूर्वनिर्धारित विधि के अनुप्रयोग पर नहीं किया जा सकता है। न्यायालय को आर्थिक मामलों से संबंधित किसी कार्यकारी निर्णय की संवैधानिक वैधता का निर्णय करते समय कार्यपालिका को कुछ हद तक स्वतंत्रता या 'जोड़ों में खेल' प्रदान करना चाहिए।" सरकार की समस्या "जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने मेट्रोपोलिस थिएटर कंपनी बनाम शिकागो राज्य [57 एल एड 730]में बताया है। (जोर दिया गया)

"ये व्यावहारिक हैं और अगर इनमें किसी तरह के समायोजन की ज़रूरत न हो, तो इन्हें उचित ठहराया जा सकता है, ये अतार्किक और अवैज्ञानिक भी हो सकते हैं। लेकिन ऐसी आलोचना भी जल्दबाज़ी में नहीं की जानी चाहिए। सबसे अच्छा क्या है, यह स्पष्ट नहीं है, किसी भी विकल्प की बुद्धिमत्ता पर विवाद हो सकता है या उसकी निंदा की जा सकती है। सरकार की सिर्फ़ गलतियाँ ही हमारी न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं हैं। केवल उसके स्पष्ट रूप से मनमाने ढंग से किए गए कार्यों को ही अमान्य घोषित किया जा सकता है।" (जोर दिया गया)

49. इस प्रकार नागरिक को इस प्रभाव से संरक्षित किया गया है कि राज्य

उन नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं कर सकता जो व्यापार या व्यवसाय या पेशे को जारी रखने के लिए योग्य हैं। राज्य अपने राजस्व को अधिकतम करने की दृष्टि से नीति अपना सकता है जब तक कि अपनाई गई विधि भेदभावपूर्ण नहीं है और उक्त मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:

“34.....सरकार, जैसा कि पर्मियन बेसिन क्षेत्र दर मामलों [20 एल एड (2 डी) 312] में कहा गया था, व्यावहारिक समायोजन करने की हकदार है जो विशेष परिस्थितियों के लिए आवश्यक हो सकता है। न्यायालय राज्य सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय को केवल इसलिए रद्द नहीं कर सकता है क्योंकि उसे लगता है कि कोई अन्य नीतिगत निर्णय निष्पक्ष या बुद्धिमान या अधिक वैज्ञानिक या तार्किक होता। न्यायालय केवल तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब नीतिगत निर्णय स्पष्ट रूप से मनमाना, भेदभावपूर्ण या दुर्भावनापूर्ण हो।”

50. (2015) 2 एस. सी. सी. 796 में प्रतिवेदित जनगणना आयुक्त और अन्य बनाम आर. कृष्णमूर्ति मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

“33. उपरोक्त कानून की घोषणा से यह स्पष्ट है कि यह न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि वह इस बात की जांच करे कि क्या कोई विशेष सार्वजनिक नीति बुद्धिमत्तापूर्ण और स्वीकार्य है या क्या कोई बेहतर नीति विकसित की जा सकती है। न्यायालय केवल तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब बनाई गई नीति पूरी तरह से मनमौजी हो या कारणों से सूचित न हो या पूरी तरह से मनमाना हो और संविधान के अनुच्छेद 14 की मूल आवश्यकता का उल्लंघन करती हो। जैसा कि अक्सर कहा जाता है, कुछ मामलों में राय और मत हो सकते हैं, लेकिन न्यायालय से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह किसी राय पर अपीलीय प्राधिकारी के रूप में बैठे।”

51. 2010 एससीसी ऑनलाइन सभी 1278: (2010) 5 सभी एलजे (एनओसी 680) 158 में प्रतिवेदित माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने धीरेन्द्र कुमार राय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में, जो जहाँ उक्त मामले के तथ्यों का विश्लेषण करने के

बाद पुलिस प्राधिकारी की दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई पर सवाल उठाया गया था, सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया है, जिन्हें नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"26. 1891 ए. सी. 173,179 में प्रतिवेदित शार्प बनाम वेकफील्ड में, लॉर्ड हैल्सबरी ने ठीक ही कहा:-

"[वि]वेक' का अर्थ है जब यह कहा जाता है कि अधिकारियों के विवेक के भीतर कुछ किया जाना है कि कुछ तर्क और न्याय के नियमों के अनुसार किया जाना है, न कि निजी राय के अनुसार। कानून के अनुसार और हास्य के अनुसार नहीं। यह होना है, मनमाना नहीं,

अस्पष्ट, और काल्पनिक, लेकिन कानूनी और नियमित। और इसका प्रयोग उस सीमा के भीतर किया जाना चाहिए, जिसके लिए अपने पद के निर्वहन के लिए सक्षम एक ईमानदार व्यक्ति को खुद को सीमित करना चाहिए।"

27. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2004 (2) एससीसी 590; भारत संघ बनाम कुलदीप सिंह मामले में यह माना है कि विवेकाधिकार कानून के माध्यम से यह जानने में निहित है कि क्या न्यायसंगत है। उद्धृत के लिए :-

"विवेक कानून के माध्यम से यह जानना है कि क्या उचित है। जहाँ एक न्यायाधीश के पास न्यायिक विवेकाधिकार है और उसका प्रयोग करता है, उसका आदेश तब तक अपील योग्य नहीं है जब तक कि उसने कानून या तथ्य की गलती के तहत या सिद्धांत की अवहेलना में या अप्रासंगिक मामलों को ध्यान में रखने के बाद ऐसा नहीं किया हो। यह दिखाने में मदद मिलेगी यदि यह दिखाया जा सके कि ऐसी कोई सामग्री नहीं थी जिस पर वे अपने विवेक का उपयोग कर सकें....."

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने आगे निम्नानुसार निर्णय दिया:-

"20. जब किसी व्यक्ति, न्यायाधीश या दंडाधिकारी के लिए कुछ भी उसके विवेक के अनुसार करने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो कानून चाहता है कि यह सही विवेक के साथ और कानून के अनुसार किया जाना चाहिए। (टॉमलिन लॉ डिक्शनरी देखें) अपने सामान्य अर्थ में, "विवेकाधिकार" शब्द का अर्थ है अपनी पसंद या इच्छा के अनियंत्रित प्रयोग;

अपने निर्णय के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता; इच्छा का अनियंत्रित प्रयोग; अपने स्वयं के निर्णय के अलावा नियंत्रण के बिना कार्य करने की स्वतंत्रता या शक्ति। लेकिन, जब इसे सार्वजनिक पदाधिकारियों पर लागू किया जाता है, तो इसका अर्थ है कानून द्वारा उन्हें प्रदत्त एक शक्ति या अधिकार, जो कुछ परिस्थितियों में आधिकारिक तौर पर अपने निर्णय और विवेक के अनुसार कार्य करने का होता है, जो दूसरों के निर्णय या विवेक से नियंत्रित नहीं होता। विवेक का अर्थ है सही और गलत के बीच अंतर करना; और इसलिए, जिसके पास विवेक से कार्य करने की शक्ति है, वह तर्क और कानून के नियम से बंधा होता है। (टॉमलिन का लॉ डिक्शनरी देखें)

21. विवेक, सामान्य रूप से, यह समझ है कि क्या सही और उचित है। यह ज्ञान और विवेक को दर्शाता है, वह विवेक जो एक व्यक्ति को सावधानी के साथ एकजुट होकर सही और उचित के बारे में आलोचनात्मक निर्णय लेने में सक्षम बनाता है; अच्छी समझ, और सावधानी से निर्देशित निर्णय; जानबूझकर निर्णय; निर्णय की दृढ़ता; झूठ और सत्य के बीच, गलत और सही के बीच, छाया और पदार्थ के बीच, समानता और रंगीन चमक और ढोंग के बीच, और व्यक्तियों की इच्छा और निजी स्नेह के अनुसार नहीं करने के लिए एक विज्ञान या समझ। जब यह कहा जाता है कि कुछ कार्य अधिकारियों के विवेक के भीतर किया जाना है, तो वह कार्य विवेक और न्याय के नियमों के अनुसार किया जाना है, न कि निजी राय के अनुसार; कानून के अनुसार किया जाना चाहिए, न कि मनोरंजन के अनुसार। यह मनमाना, अस्पष्ट और काल्पनिक नहीं होना चाहिए, बल्कि कानूनी और नियमित होना चाहिए। और इसका प्रयोग उस सीमा के भीतर किया जाना चाहिए, जिसके भीतर एक ईमानदार व्यक्ति, जो अपने पद का निर्वहन करने में सक्षम है, स्वयं को सीमित रख सकता है। (लॉर्ड हेल्सबरी, एल. सी. के अनुसार, शार्प बनाम वेकफील्ड में)। (एस. जी. जयसिंघानी बनाम भारत संघ भी देखें)

22. "विवेक" शब्द, जो अकेला और परिस्थितियों द्वारा समर्थित नहीं है, मूर्खता, अविवेक या जल्दबाजी से भिन्न, निर्णय, कौशल या बुद्धिमत्ता के प्रयोग को दर्शाता है; इसलिए स्पष्टतः विवेक मनमाना नहीं हो सकता, बल्कि न्यायिक सोच का परिणाम होना चाहिए। यह शब्द अपने आप में सतर्कता और सावधानी का संकेत देता है; इसलिए, जहाँ विधायिका विवेक को स्वीकार करती है, वह

एक भारी जिम्मेदारी भी थोपती है। "एक न्यायाधीश का विवेक अत्याचारियों का कानून है; यह हमेशा अज्ञात रहता है। यह अलग-अलग व्यक्तियों में अलग-अलग होता है। यह आकस्मिक होता है, और संविधान, स्वभाव और जुनून पर निर्भर करता है। सबसे अच्छे रूप में यह अक्सर सनक होता है; सबसे बुरे रूप में यह हर वह बुराई, मूर्खता और जुनून होता है जिसके लिए मानव स्वभाव उत्तरदायी होता है।" लॉर्ड कैमडेन, एल.सी.जे. ने हिंडसन और केर्सी में कहा।

28. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए यदि वैधानिक विवेकाधिकार किसी प्राधिकरण में निहित है तो ऐसे विवेकाधिकार का प्रयोग मनमाने, सनकी और काल्पनिक तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। घटना के परिणाम से यह परिलक्षित होना चाहिए कि संबंधित प्राधिकारी ने सतर्क निरीक्षण और देखभाल के साथ कानून, कौशल और ज्ञान के ठोस सिद्धांत के भीतर विवेक का प्रयोग किया है। विवेकाधीन शक्ति किसी व्यक्ति या प्राधिकारी पर भारी जिम्मेदारी लगाती है। कानून, परिपत्र या आदेश द्वारा उच्च प्राधिकारी को दी गई स्वतंत्रता या झूट, ऐसी शक्ति का अनुचित और अन्यायपूर्ण तरीके से प्रयोग करने की अनुमति नहीं देती। कुलदीप सिंह (उपरोक्त) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने आगे निम्नलिखित निर्णय दिया:-

“यदि किसी कानून या नियमों द्वारा किसी न्यायाधीश को उसके समक्ष लाए गए मामलों पर निर्णय लेने में एक मंत्री या प्रशासनिक अधिकारी से अलग एक निश्चित अक्षांश या स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, तो यह न्यायिक विवेकाधिकार है। यह विवेकाधिकार के प्रयोग को सीमित और विनियमित करता है, और इसे पूरी तरह से निरपेक्ष, मजबूत या समीक्षा से मुक्त होने से रोकता है।”

29. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1958 एससी 86 में प्रतिवेदित उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मोहम्मद नूह, एआईआर 1964 एससी 72 में प्रतिवेदित प्रताप सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1989 (1) एससीसी 189 में प्रतिवेदित फशीह चौधरी बनाम डी.जी. दूरदर्शन के मामले में यह माना कि यदि शिकायत किया गया कार्य अधिकार क्षेत्र से बाहर है या कानून द्वारा प्रदत्त अधिकार से अधिक है या शक्ति का दुरुपयोग या गलत इस्तेमाल है, तो न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। ऐसी स्थिति में, केवल यह तथ्य कि दुर्भावनापूर्ण या अप्रत्यक्ष उद्देश्य के आरोप से इनकार किया गया है या इसके अनुचित या अप्रासंगिक मामले को ध्यान में रखा गया है, न्यायालय को प्राधिकरण के खिलाफ लगाए गए आरोपों की सच्चाई की जांच करने और पीड़ित पक्ष को उचित राहत देने से नहीं रोकता है।

30. कई मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि प्रत्येक मनमानी कार्यवाई, चाहे वह विधायी या प्रशासनिक या अर्ध-न्यायिक शक्ति के प्रयोग की प्रकृति में हो, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के निषेध को आकर्षित करने के लिए उत्तरदायी है, एआईआर 1974 एससी 555; ई.पी. रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य, 1979 (3) एससीसी 489; आर.डी. शेटी बनाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण, 1978 (1) एससीसी 248; मेनका गांधी बनाम भारत संघ, 1981 (1) एससीसी 722; अजय हसिया बनाम खालिद मुजीब, 1990 (3) एससीसी 223; श्री सीताराम शुगर कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ।

31. (1999) 6 एससीसी 464 में प्रतिवेदित एम.आई. बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम राधेश्याम मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यदि यह ऐसा निर्णय है जिस पर कोई उचित प्राधिकारी नहीं आ सकता है तो यह गैरकानूनी है।

32. माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने एआईआर 1991 एससी 101; दिल्ली परिवहन निगम बनाम डीटीसी मजदूर कांग्रेस व अन्य मामले में इस धारणा को खारिज कर दिया था कि उच्च पद पर आसीन व्यक्ति कोई गलत काम नहीं करता। उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा प्राप्त विवेकाधिकार को व्यक्तियों की सद्बुद्धि पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। दिल्ली परिवहन निगम (उपरोक्त) के फैसले का प्रासंगिक अंश इस प्रकार पुनः प्रस्तुत किया गया है:- "जीवन के सभी क्षेत्रों में सत्ता के मनमाने इस्तेमाल की गुंजाइश को कम से कम करने की आवश्यकता है। व्यक्तियों की सद्बुद्धि पर निर्भर रहना उचित नहीं है, चाहे वे कितने भी ऊंचे पद पर क्यों न हों। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार जैसे बहुमूल्य अधिकारों को व्यक्तिगत सनक और कल्पनाओं के हवाले करना और भी अनुचित और अवांछनीय है। यह कहना घिसी-पिटी बात है कि व्यक्ति इसलिए बुद्धिमान नहीं होते और न ही बनते हैं क्योंकि वे सत्ता के ऊंचे पदों पर आसीन होते हैं, और सद्बुद्धि, सावधानी और निष्पक्षता इन पदों के साथ नहीं आती, चाहे वे कितने भी ऊंचे पद पर क्यों न हों। केवल एक सहज धारणा है कि जो लोग ऊंचे पदों पर आसीन होते हैं, उनमें जिम्मेदारी की भावना अधिक होती है। यह धारणा न तो कानूनी है और न ही तर्कसंगत। इतिहास इसका समर्थन नहीं करता और वास्तविकता इसकी गारंटी नहीं देती। विशेष रूप से, एक ऐसे समाज में जो कानून के शासन को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, उसके जीवन के किसी भी पहलू को विवेक से संचालित होने देना नासमझी और अव्यावहारिक दोनों होगा। जब इसे आसानी से

और सुविधापूर्वक विधि के शासन द्वारा कवर किया जा सकता है।
25. तथाकथित "उच्च प्राधिकारी" सिद्धांत का पहले ही उल्लेख किया जा चुका है। आत्म-भ्रमित और आत्म-प्रशंसित धर्मी अनुमान के अलावा, इसका समर्थन करने के लिए कुछ भी नहीं है। यह सिद्धांत निस्संदेह अतीत में कुछ समय के लिए कुछ प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श में रहा था। लेकिन इसके अवास्तविक दावों को जल्द ही पहचान लिया गया और इसे बिना किसी प्रशंसा के भी दफना दिया गया। यहाँ तक कि जब न्यायमूर्ति शाह ने मोती राम डेका बनाम महाप्रबंधक, एन.ई.पी. रेलवे, मालीगाँव, पांडु, (1964) 5 एससीआर 683: (एआईआर 1964 एससी 600) में अपनी असहमतिपूर्ण राय में इसे व्यक्त किया था, तब न्यायमूर्ति दास गुप्त एच. ने अपने सहमति वाले निर्णय में, लेकिन रेलवे स्थापना संहिता के नियम 148(3) के अनियंत्रित प्रावधानों के उसी बिंदु पर विचार करते हुए, उस दृष्टिकोण का समर्थन नहीं किया था और नियम को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला बताते हुए रद्द कर दिया था। बहुमत ने इस मुद्दे पर कोई विचार नहीं किया और रेलवे कर्मचारियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों के बीच भेदभाव के कारण इस नियम को अमान्य घोषित कर दिया गया।"

33. सर्वोच्च न्यायालय ने 2005 (5) एससीसी 181; दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्य एवं अन्य बनाम संजीव उर्फ बिट्टू मामले में, निर्णय लेने की प्रक्रिया में अवैधता, साथ ही तर्कहीनता और विकृतियों के आधार पर अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा के अधिकार को बरकरार रखा। यह निर्णय तर्कहीन है और न्यायालय अभिलेख में उपलब्ध सामग्री पर विचार कर सकता है। (कंडिका 16, 17 और 21)

माननीय उच्चतम न्यायालय ने संजीव (उपरोक्त) के मामले में आगे निर्णय दिया कि यदि प्रशासनिक या न्यायिक शक्ति का प्रयोग प्रासंगिक कारकों पर विचार न करने या दिमाग का उपयोग न करने पर किया गया है, तो ऐसी कवायद दूषित हो जाएगी। संजीव (उपरोक्त) के निर्णय के प्रासंगिक भाग को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

"यदि शक्ति का प्रयोग प्रासंगिक कारकों पर विचार किए बिना या उन पर विचार किए बिना किया गया है, तो शक्ति का प्रयोग स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण माना जाएगा। यदि कोई शक्ति (चाहे वह विधायी हो या प्रशासनिक) ऐसे तथ्यों के आधार पर प्रयोग की जाती है जो अस्तित्व में नहीं हैं और जो स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण हैं, तो शक्ति का ऐसा प्रयोग दोषपूर्ण माना जाएगा।"

34. (2005) (8) एससीसी 202 में प्रतिवेदित सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एवं ,एक अन्य बनाम भारत संघ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कानून के इस स्थापित प्रस्ताव को दोहराया कि प्रत्येक प्रशासनिक कार्यवाई उचित और निष्पक्ष होनी चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि प्रशासनिक निकाय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया न केवल निष्पक्ष होनी चाहिए, बल्कि न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित भी प्रतीत होनी चाहिए।

36. प्रसिद्ध 1980 (2) एस. सी. सी. 1789 में प्रतिवेदित मिनर्वा लिम्स लिमिटेड बनाम.ए. आई. आर. भारत संघ के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि कोई कार्यवाई गलत पाई जाती है तो उच्च न्यायालय अपने स्वयं के निष्कर्ष को प्रतिस्थापित कर सकता है। यह विवाद भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत शक्ति का प्रयोग करने के सरकारी अधिकार से संबंधित था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने देश के लोगों के संवैधानिक अधिकारों को संरक्षित करने के लिए शक्ति का प्रयोग करने पर जोर दिया था। सुविधा के लिए मिनर्वा मिल मामले (उपरोक्त) से प्रासंगिक भाग को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

“कंडिका 79 हमारे संविधान के तीन अनुच्छेद, और केवल तीन ही उस स्वतंत्रता के स्वर्ग के बीच खड़े हैं जिसमें टैगोर अपने देश को जगाना चाहते थे और अनियंत्रित शक्ति के रसातल के बीच। वे अनुच्छेद 14, 19 और 21 हैं। अनुच्छेद 31C ने उस स्वर्णिम त्रिभुज के दो पक्षों को हटा दिया है जो इस देश के लोगों को यह आश्वासन देता है कि प्रस्तावना द्वारा किया गया वादा मौलिक अधिकारों के अनुशासन के माध्यम से एक समतावादी युग की शुरुआत करके पूरा किया जाएगा, अर्थात् स्वतंत्रता और समानता के अधिकारों का हनन किए बिना, जो अकेले ही व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं।”

“कंडिका 103 इस स्तर पर इस प्रश्न पर विचार करना सुविधाजनक होगा कि क्या और यदि हाँ, तो किस सीमा तक, न्यायालय अनुच्छेद 352 खंड (1) के तहत जारी आपातकाल की घोषणा की संवैधानिकता की समीक्षा कर सकता है। आपातकाल की घोषणा की वैधता के प्रश्न की जाँच करने की न्यायालय की क्षमता के विरुद्ध उत्तरदाताओं की ओर से दो आपत्तियाँ रखी गईं। एक आपत्ति यह थी कि यह प्रश्न कि क्या कोई गंभीर आपातकाल विद्यमान है जिससे भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा युद्ध या बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति से खतरे में है, अनिवार्य रूप से एक राजनीतिक प्रश्न है जिसे संविधान द्वारा संघ कार्यपालिका को सौंपा

गया है और इस कारण, यह न्यायालय के समक्ष न्यायोचित नहीं है। यह आग्रह किया गया कि समस्या की राजनीतिक प्रकृति को देखते हुए, यह न्यायिक निर्णय के लिए उत्तरदायी नहीं है और इसलिए न्यायालय को इसकी जाँच करने से बचना चाहिए। दूसरी आपति यह थी कि किसी भी स्थिति में अनुच्छेद 352 के खंड (4) और (5) के कारण, न्यायालय को राष्ट्रपति की संतुष्टि पर प्रश्न उठाने का कोई अधिकार नहीं है, जिससे आपातकाल की घोषणा जारी हो सके या आपातकाल की घोषणा की वैधता या इसके निरंतर संचालन के संबंध में कोई प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं है। ये दोनों आपतियाँ निराधार हैं और ये अनुच्छेद 352 खंड (1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी आपातकाल की घोषणा की वैधता की न्यायिक समीक्षा पर रोक नहीं लगाती हैं। ऐसा कहने के मेरे निम्नलिखित कारण हैं।”

“कंडिका 104..... जब तक सवाल यह है कि क्या संविधान के तहत किसी प्राधिकरण ने अपनी शक्ति की सीमाओं के भीतर काम किया है या उसे पार किया है, यह निश्चित रूप से न्यायालय द्वारा तय किया जा सकता है। वास्तव में ऐसा करना उसका संवैधानिक दायित्व होगा। मैंने पहले भी कहा है, मैं फिर दोहराता हूँ, कि संविधान सर्वोच्च है, देश का सर्वोपरि कानून है, और सरकार का कोई भी विभाग या शाखा इससे ऊपर या परे नहीं है। प्रत्येक निकाय या सरकार, चाहे वह कार्यपालिका हो या विधायिका या न्यायपालिका, अपना अधिकार संविधान से प्राप्त करती है और उसे अपने अधिकार की सीमाओं के भीतर कार्य करना होता है और उसने ऐसा किया है या नहीं, यह न्यायालय को तय करना है। न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्याता है और जब संविधान के तहत शक्ति का स्पष्टतः अनधिकृत प्रयोग होता है, तो हस्तक्षेप करना न्यायालय का कर्तव्य है। यह न भूलें कि सरकार की अन्य शाखाओं की तरह यह न्यायालय भी संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। न्यायालय का कार्य संवैधानिक योजना में उन मूल्यों की पहचान करना और न्यायालय तक पहुंचने वाले मामलों में जीवन में काम करना है। “रणनीति और विवेकपूर्ण संयम को किसी भी शक्ति को शांत करना चाहिए, लेकिन साहस और जिम्मेदारी की स्वीकृति का भी अपना स्थान है।” न्यायालय इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकता और न ही उसे बचना चाहिए, क्योंकि उसने संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली है और वह इस देश के लोगों के प्रति भी जवाबदेह है.....।”

58. संविधान एक जैविक निकाय है और इसे समय के परिवर्तन के साथ स्थिति का सामना करना पड़ता है। जबकि सार्वजनिक जीवन में नैतिकता का पतन हो रहा है और प्रशासन में

मनमानेपन असामान्य नहीं है, स्थिति का सामना करने के लिए, न्यायालय वेइसबरी सिद्धांत को पार करेगा। अनुचितता, न्याय और कार्रवाई में निष्पक्षता भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप करने के आधार हैं।

59. इसके अलावा, जब कोई कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण या उत्पीड़न या पूर्वाग्रह से ग्रस्त होती है, तो न्यायालयें न केवल कार्रवाई के पीछे के उद्देश्य, बल्कि किसी व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए आरोपों की शुद्धता का पता लगाने के लिए पर्दा उठा सकती हैं।”

52. अतिरिक्त प्रधान मुख्य सचिव की कार्रवाई से पता चलता है कि उन्होंने न केवल क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि की है, बल्कि उपलब्ध अभिलेखों से यह भी पता चलता है कि तथ्यों और कानूनों की परवाह किए बिना, अपनी शुद्ध इच्छा और सनक का प्रयोग करते हुए, उन्होंने मनमाने ढंग से, स्वेच्छाचारी ढंग से और विकृत रूप से अपने अधीनस्थों, पंजीयक और उप-पंजीयक को मौखिक रूप से निर्देश दिया है कि वे विलेख लेखकों द्वारा स्वयं लिखित रूप में प्रस्तुत किए गए विलेखों को स्वीकार करने से रोकें।

53. उत्तरदाता सं. 2 को भविष्य में अनुचित तरीके से सत्ता का प्रयोग करने से खुद को रोकना चाहिए।

54. वर्तमान मामले में, जवाबी हलफनामा में दिए गए कथनों के मद्देनजर, उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया है कि बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव, निबंधन की अध्यक्षता में दिनांक 21.10.2022 को पारित बैठक के कार्यवृत्त के खंड 17 को प्रशासनिक पक्ष द्वारा हल कर लिया गया है और जिला पंजीयक और उप-पंजीयक को मौखिक रूप से निर्देश दिया गया है कि वे मॉडल विलेख के माध्यम से पंजीकरण को 50% तक बढ़ाएँ और विलेख लेखकों के माध्यम से इसे 50% तक सीमित रखें, जो कि कोविड-19 अवधि के दौरान अपनाए गए उपायों पर आधारित है। ये उपाय सरकार के मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के मद्देनजर थे, इसलिए, महानिरीक्षक, निबंधन द्वारा धारा 69(1) उप-नियम (खख) के प्रावधान के अनुसार कोई नियम नहीं बनाए गए।

55. वर्तमान मामले में मॉडल आधारित पंजीकरण की अनुमति देने की नीति आम जनता के हित में उचित प्रतिबंध का एक पहलू हो सकती है। महानिरीक्षक, पंजीयन, जिला पंजीयक और उप-पंजीयक को अधिनियम की धारा 68 (ए) और 68 (बी) के प्रावधानों के अनुसार धारा 69(1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए किसी भी नियम के अभाव में, आज की तारीख तक विलेख लेखकों द्वारा तैयार किए गए विलेख को स्वीकार करने से रोकने का निर्देश नहीं दे सकते। आज की तारीख तक उत्तरदाताओं ने सीडब्ल्यूजेसी संख्या 10974/2016 में पारित दिनांक 17.09.2016 के आदेश को भी चुनौती नहीं दी है और न ही अनुज्ञप्ति की किसी शर्त में कोई बदलाव किया है।

56. यह एक साधारण कानून है कि एक न्यायालय से राज्य की नीतियों के "अपरिवर्तित महासागर" में जाने की उम्मीद नहीं की जाती है, राज्य के पास नीति को तैयार करने और फिर से तैयार करने, बदलने और फिर से समायोजित करने, समायोजित करने और फिर से समायोजित करने की शक्ति है, लेकिन कानून के किसी भी अधिकार के अभाव में अधिकार क्षेत्र के बिना अवैध और मनमाना घोषित किया जा सकता है।

57. इस न्यायालय ने पाया कि उत्तरदाताओं को स्वयं ही मॉडल विलेखों के पंजीकरण में 42 प्रतिशत की वृद्धि के कारण उनके द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक नियमों को लागू नहीं करने के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप करों के पंजीकरण में 20.15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और अप्रैल, 2022 से नवंबर, 2022 की अवधि के दौरान राजस्व में लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और मॉडल विलेख के माध्यम से पंजीकरण को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने और विलेख लेखकों के माध्यम से पंजीकरण को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने की नीति अपनाई गई है। नीति को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक नियमों के अभाव में, धारा 69(खख) के तहत बनाए गए आवश्यक नियमों के अभाव में, ऐसी प्रशासनिक कार्रवाई को मौखिक रूप से लागू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जो पूरी तरह से मनमानी, भेदभावपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण है।

और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(जी) और 21 का उल्लंघन करती है।

58. तदनुसार मैं निर्देश देता हूँ कि जब तक राज्य मोडल विलेख के आधार पर पंजीकरण के लिए विशिष्ट नियम नहीं लाता है और अनुज्ञप्ति के नियमों और शर्तों में बदलाव नहीं करता है, तब तक सैकड़ों विलेख लेखकों के अधिकार को हाथ से लिखे गए विलेख को स्वीकार नहीं करके निरर्थक नहीं बनाया जा सकता है, भले ही अनुज्ञप्ति के किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन न हो, पंजीकरण के लिए उनके हस्तलिखित विलेख दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में किसी भी तरह से उन्हें प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए।

59. उपरोक्त चर्चाओं के आधार पर, मुझे वर्तमान याचिका में योग्यता नज़र आती है। इसे स्वीकार किया जाता है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

(पूर्णन्दु सिंह, न्यायमूर्ति)

नीरज/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।